D.A.V. (P.G.) COLLEGE
DEHRADUN - UTTARAKHAND

NAAC Re-accredited with Grade 'B' (CGPA 2.46)

No. 2022_____

Affiliated to Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(A Central University)

PROSPECTUS - SESSION - 2022-23

www.davpgcollege.in

Rs. 60/-

Message from the desk of Secretary

I welcome all students belonging to different parts of India who have taken admission on the basis of their merit in this prestigious college of north India. DAV (PG) College Dehradun since 1946 has been making a significant contribution to higher education by setting high bench marks in education while maintaining a balance between Vedic wisdom and modernity. Here it is realized that excellence is not one time achievement, it is a habit of 'Quest for Excellence' in every field which has been the singular aim of this institution.

No doubt a lot of DAV alumni are holding significant positions all over the world yet it is not contented. It's vision is to be crowned as the finest educational organization in the service of mankind. Its mission is man-making, disseminating knowledge and building Vedic values. Our success in this endeavour has the potential of making our society free from prejudices and vices.

Toppers in studies, champions in sports and heroes in extra-curricular activities year after year make this college an irresistible destination for students. Onrush of admission every year bears testimony to the fact that this is the most sought after institution. I have no doubt that with an inbuilt momentum, this institution would continue to march forward to a better tomorrow in the service of the nation and touch the new pinnacles of glory.

I wish the Principal, staff and students of the college all success in their result oriented endeavours.

Manvendra Swarup
Secretary

Message from the desk of Principal

D.A.V. (P.G.) College is one of the premier institutions of Northern India which started before Independence. Established in 1946 as Degree College it has been on a prestigious journey for the past 118 years. Not only does it cater to the needs of students of Uttarakhand and neighboring states, but it also fulfills the educational requirements of the students from Jammu & Kashmir to North-East India. D.A.V. (P.G.) College was previously affiliated to H.N.B. Garhwal University, which eventually upgraded to H.N.B. Garhwal Central University, Srinagar which is NAAC A Grade University. Our college has five faculties i.e. Science, Arts, Commerce, Law and Teacher Education along with self-financing courses like PGDJMC, PGDTH, B.Sc. IT, M.A. Mass Communication and M.A. Education.

D.A.V. (P.G.) College is an institution where students increase their potential to the optimum as the education imparted is inclusive and accessible. The basic purpose of education here, is to enhance the overall personality development of our students. Apart from education, our college has focused on grooming the best NCC cadets, sports persons, NSS and Rover & Rangers volunteers and social political activists. Ours is an institution where the inherent qualities of students can get fullest bloom. In the field of academics, this college has been consistently producing university gold medalists across various disciplines, including professional courses from year to year.

D.A.V. College is an institution where ancestral wisdom and fusion of Arya Samaj principles along with Anglo Vedic education takes place, thereby contributing to develop noble citizens to the society. Education is imparted not only through classroom teaching, but also through tutorials, seminars, conferences, invited lectures and remedial classes. Because of these qualities, D.A.V. (P.G.) College is considered one of the best seats of education. The college has produced icons like the Ex-Prime Minister of Mauritius, Hon'ble Shri Shiv Sagar Ramgulam; Ex-Prime Minister of Nepal, Hon'ble Shri Lokendra Bahadur Chand; Late Hon'ble Brahm Dutt; Ex-Army Chief Gen. B.C. Joshi; Indian mountaineer Km. Bachendri Pal and in recent times many officials of Defence, Uttarakhand and Indian Administration Judiciary and Corporate sector.

I believe education is a great emancipator, which is universally recognized. The logo of our college is also 'तमसो मा ज्योर्तिगमय' which means from darkness to light. I urge you to experience this path from darkness to light at our revered institution. On behalf of the entire faculty members, I invite you to experience your academic journey at our esteemed institution. All the best for your coming academic year!

In the year 2020 the college was reaccredited with 'B' Grade (CGPA 2.46) by NAAC. The Peer Group highly appreciated the herculean efforts of the college for improving teaching and learning activities. We are confident of getting 'A' Grade in NAAC third re-accreditation.

Dr. K.R. Jain
Principal

अनुक्रमणिका/Contents

1.	प्रवेश संबंधी नियम 2022–23	2
2.	अध्ययन पाठ्यक्रम	4
3.	स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियम	4
4.	स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियम	5
5.	बी.एड. में प्रवेश हेतु नियम	5
6.	एल–एल.बी. में प्रवेश हेतु नियम	5
7.	स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम	6
8.	मेरिट आधारित प्रवेश नियम	6
9.	विभिन्न कक्षाओं में आरक्षण की व्यवस्था	6
10.	'वेटेज' के प्रावधान	6
11.	विश्वविद्यालय नामांकन	7
12.	उपस्थिति	7
13.	नियन्ता मण्डल	7
14.	परिचय–पत्र	7
15.	छात्रवृत्तियाँ एवं शुल्क विमुक्ति	7
16.	चिकित्सकीय सुविधाएँ	7
17.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं हेतु शुल्क विमुक्ति	8
18.	पुस्तकालय एवं वाचनालय	8
19.	प्रयोगशालाएँ	8
20.	शोध कार्य	8
21.	कॉलेज की सदस्यता	8
22.	छात्रसंघ	8
23.	क्रीड़ा संबंधी सूचनाएँ	8
24.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0)	9
25.	राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0)	9
26.	रोवर व रेन्जर	9
27.	सांस्कृतिक समिति	9
28.	कॉलेज पत्रिका 'जिज्ञासा'	9
29.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र (IGNOU SC-2705)	9
30.	महाविद्यालय कैरियर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेवा	10
31.	जमाराशि एवं उनकी वापसी	10
32.	Best Practice of the college- Mantrana Debating Society and its activities	10
33.	जेंडर सेन्सेटाइजेशन कमेटी अंगेस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट (GS CASH)	10
34.	वेबसाईट एवं शुल्क भुगतान	10
35.	रैगिंग पर प्रतिबन्ध तथा undertaking दिये जाने सम्बन्धी प्राविधान	10
36.	यू.जी.सी. के रैगिंग रोकने सम्बन्धी नियम	10
37.	प्रभारी व समन्वयक	11
38.	NEP 2020 UG Framework 2022-23	12–16
39.	CBCS/Semester Rules for old students (2021–24)	16–19
40.	उपस्थित नियम	19
41.	शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2022–23	20
42.	विभागवार शिक्षकों की सूची	21
43.	सत्र 2022–23 के लिए कक्षानुसार शुल्क विवरण	22
44.	सत्र 2022–23 के लिए महाविद्यालय का शुल्क विवरण	23
45.	विभिन्न कक्षाओं के लिए अनुमन्य छात्र संख्या	24

प्रवेशार्थी विवरणिका – सत्र 2022–23

NAAC Accredited - Grade 'B' (Institutional CGPA 2.46)

1. ऑनलाइन प्रवेश संबंधी नियम सत्र 2022–23

1. प्रवेश मेरिट तथा ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर ही होंगे। सर्वप्रथम इच्छुक अभ्यर्थी को महाविद्यालय की वेबसाइट www.davpgcollege.in (http://admission.davpgcollege.in/) में प्रवेश हेतु दिये गये लिंक को क्लिक करके प्रवेश प्रक्रिया में पंजीकरण करके दी हुई अन्य अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। वेबसाइट में दिये गये दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाना प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा।
2. ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु जन्मतिथि के प्रमाण हेतु हाईस्कूल तथा समकक्ष प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति, अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित छायाप्रति, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र मूल रूप में (महाविद्यालय में पहली बार प्रवेशार्थी के लिए अनिवार्य), आरक्षण संबंधी वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमी लेयर) तथा भूतपूर्व सैनिक तथा उनके आश्रित, दिव्यांग होने का प्रमाण–पत्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित होने) का प्रमाण–पत्र भी यथा स्थान पर अपलोड करना होगा। संबंधित आरक्षित वर्ग के वैध प्रमाण–पत्र अपलोड न होने की स्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पुलिस सत्यापन के प्रमाण–पत्र पर अभ्यर्थी के स्वयं तथा अभिभावक के हस्ताक्षर होने चाहिए। रैगिंग संबंधी शपथ–पत्र तथा पूर्व संस्था के प्राचार्य अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण–पत्र (वैधता अवधि 6 माह) भी आवश्यकतानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. प्रवेशार्थी का दायित्व होगा कि वे समय–समय पर महाविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करता रहे तथा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार वरीयता सूची में स्थान पाने पर निर्धारित शुल्क इत्यादि निर्धारित तिथि तक जमा कर दे।
4. प्रवेश हेतु अधिमानित अंक (वेटेज) महाविद्यालय द्वारा तभी दिया जा सकेगा जब अभ्यर्थी ने नियमानुसार वैध खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस, स्कॉउट रोवर्स एवं रेंजर का प्रमाण–पत्र अपलोड कर दिया हो।

2. प्रवेश सम्बन्धी नियम 2022–23

1. प्रवेश मेरिट आधारित व ऑनलाइन होंगे। प्रवेश आवेदन–पत्र ऑनलाइन जमा कर देना कॉलेज में प्रवेश का आश्वासन नहीं है।
2. प्रवेश विवरणिका अच्छी प्रकार पढ़ लें। इसमें दिए प्रावधान तथा नियम कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय परिवर्तनीय हैं।
3. डी.ए.वी. कॉलेज, देहरादून मूलतः जनपद के निवासियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, अतः प्रवेश में स्थानीय छात्रों को वरीयता दी जाती है।
4. सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) 90 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के अधिवासियों के लिए होंगी। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे सामान्य वरीयता सूची में अर्ह हों। अर्हता के अभाव में उत्तराखण्ड से बाहर की रिक्त सीटों को उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों की सूची से प्रवेश दिया जाएगा।
5. कृपया अपना प्रवेश आवेदन–पत्र भरते समय जाँच लें कि–

i. प्रवेश आवेदन–पत्र विधिवत भरे गये हैं तथा इसमें निर्धारित स्थान पर आपके तथा आपके अभिभावक के हस्ताक्षर हैं।

ii. प्रवेश आवेदन–पत्र में आपका नवीनतम फोटोग्राफ तथा पता होना अनिवार्य है।

iii. किसी अन्य विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उस विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल रूप में छात्र परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ अपलोड करें।

6. सही एवं स्पष्ट रूप से भरा हुआ प्रवेश आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन–पत्र के साथ प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न/अपलोड करना आवश्यक है। महाविद्यालय के प्रवेश–फार्म पर छात्र/छात्रा का वही नाम मान्य होगा जो कि उसके हाई–स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र पर अंकित होगा। उपनाम अनुमन्य नहीं है।

7. प्रवेश शुल्क का भुगतान 'ऑनलाइन' ही किया जायेगा। विस्तृत दिशा निर्देशों हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट देखें।

8. अपूर्ण आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन–पत्र जमा/अपलोड करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई प्रपत्र आवेदन–पत्र में संलग्न/अपलोड नहीं किया जा सकेगा।
9. ड्रॉप आउट्स व अनुचित साधन प्रयोग के दोषी या दोषारोपित छात्रों को किसी भी अन्य विषय या कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि वे इस तथ्य को छिपाकर प्रवेश ले लेते हैं, तो जानकारी होने पर तुरंत उनका प्रवेश बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दिया जायेगा। महाविद्यालय के नियमित छात्र जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए (अर्थात् ड्रॉपर्स हैं) पुनः प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
10. उन प्रवेशार्थियों को जिनके परीक्षाफल अनुचित साधन के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से रोके गये हैं, अपने आवेदन–पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक अवश्य जमा करा देने चाहिए।
11. दुराचरण अथवा अनवरत प्रमाद के दोषी छात्र को अर्थदण्ड सहित निलम्बित, निष्कासित, बहिष्कृत या विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जिन छात्रों की गतिविधियाँ नियंता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश देने से रोका जा सकता है अथवा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। शासकीय आदेश संख्या अ0शा0 2421/15-10-87/134/86 दिनांक 8 मई, 1987 के अनुसार अवांछनीय तत्वों अथवा अध्ययन में रुचि न रखने वाले

छात्र/छात्राओं को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। यदि प्रवेश दिया जा चुका है, तो इस तथ्य का पता लगने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

12. अपने प्रवेश आवदेन–पत्र के साथ अंक–तालिका या जाति/अधिमान प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति संलग्न न करें। केवल स्व–प्रमाणित प्रतियाँ ही लगायें। मूल–प्रतियाँ साक्षात्कार/ सत्यापन/प्रवेश काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है।
13. प्रवेशार्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन–पत्रों में कोई असत्य सूचना न दें और न ही कोई तथ्य छिपाएँ। उनके द्वारा प्रस्तुत अंक–तालिका और प्रमाण–पत्रों की प्रतिलिपियां सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ परीक्षा निकायों को सत्यापन हेतु भेजी जा सकती हैं। सत्यापन के उपरान्त यदि कोई पत्रजात (Document) असत्य पाया जाता है तो न केवल प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, अपितु कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
14. वरीयता सूची में चयन के बाद अभ्यर्थी को महाविद्यालय का प्रवेश आवेदन–पत्र सभी वांछित प्रमाण–पत्रों सहित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। सभी प्रमाण–पत्रों के सही पाये जाने पर ही प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश की संस्तुति की जाएगी।
15. उपस्थिति पंजिका में किसी भी छात्र/छात्रा का नाम सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा तभी लिखा जायेगा, जबकि छात्र/छात्रा फीस रसीद एवं प्रामाणिक परिचय–पत्र उन्हें दिखायेगा।
16. महाविद्यालय किसी अभ्यर्थी को प्रवेश सम्बन्धी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगा। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों का दायित्व है कि वह समय–समय पर महाविद्यालय के सम्बन्धित विभाग के सूचना पट्ट पर लगने वाली सूचनायें प्राप्त करें।
17. मिथ्या/अपूर्ण सूचनायें प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है, अगर त्रुटिवश या मिथ्या सूचना के आधार पर किसी छात्र/छात्रा को प्रवेश प्राप्त हो गया हो तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर संबंधित अनियमित प्रवेश को निरस्त करने का विधि सम्मत अधिकार प्राचार्य का होगा।
18. महाविद्यालय को बिना कोई कारण दिये प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार है। प्राचार्य द्वारा कोई भी प्रवेश कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
19. जिन छात्रों ने पिछले वर्ष पुस्तकालय की पुस्तकें वापिस नहीं की हैं उन्हें प्रवेश तभी दिया जायेगा, जब वे पुस्तकें वापस कर देंगे।
20. 'ओपन स्कूल' से पाँच विषय लेकर प्लस–टू परीक्षा उत्तीर्ण छात्र स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।
21. विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय की प्रत्येक कक्षा में Casual Admission पूर्णतः वर्जित है।
22. एम.एस–सी. कक्षाओं में किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय अथवा इसी कॉलेज की अन्य कक्षाओं से किसी भी परिस्थिति में स्थानान्तरण की अनुमति नहीं है।
23. प्रवेश लेने के पश्चात् सभी छात्र/छात्रायें अपने परिचय पत्र (Identity Card) चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में हस्ताक्षर के लिए स्वयं ही उपस्थित हों। अपना पहचान पत्र किसी अन्य को न दें।
24. सभी छात्र/छात्रायें लाइब्रेरी कार्ड बनाने के लिए पुस्तकालय में निर्धारित काउन्टर पर स्वयं ही उपस्थित होकर अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवायें।
25. प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनायें तथा आवेदन–पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि, योग्यता सूची, प्रवेश हेतु चयन, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आदि केवल विभागीय/कॉलेज सूचना पट्ट/वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। इसलिये सभी प्रवेशार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कॉलेज/विभागों के सूचना पट्ट/वेबसाइट निरन्तर देखते रहें।
26. शुल्क रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि संरक्षित–निधि (Security Money) वापस लेते समय इसे तत्संबंधी प्रार्थना–पत्र के साथ कार्यालय में जमा करना होता है। विद्यार्थी द्वारा जमा की गई जमानत राशि अन्तिम परीक्षा पास किये जाने के एक वर्ष के अंतर्गत उनके द्वारा वापस मांगी जा सकती है। उपरोक्त समय बीत जाने पर वह राशि स्वतः जब्त हो जायेगी और वापस नहीं होगी।
27. शुल्क विमुक्ति के लिए यथा समय निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन अवश्य कर दें।
28. छात्र/छात्राओं को स्नातक डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा में पूर्ण करनी होगी।
29. जनपद देहरादून में नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों को अपने विभाग से कक्षाओं में उपस्थित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र (N.O.C.) प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जनपद देहरादून से बाहर नौकरी करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
30. विषय/संकाय एक बार आवंटित होने पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
31. अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उसी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
32. प्रवेश सम्बंधी अन्य नियमों में विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
33. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य सीटों के अनुरूप ही प्रवेश दिए जायेंगे।
34. अनन्तिम प्रवेश हेतु आधार कार्ड नम्बर अनिवार्य होगा।
35. **व्यवसायिक पाठ्यक्रम–बी.एड. तथा एल.एल.बी. छात्र/छात्राओं को निर्धारित यूनिफार्म में महाविद्यालय में आना अनिवार्य होगा।**
36. अर्हता परीक्षा पास करने के पश्चात् दो या अधिक वर्ष का समय अन्तराल हो गया है और प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है तो महाविद्यालय उसे भी प्रवेश दे सकता है। परन्तु उसे इस समय अन्तराल का शपथ पत्र भर कर देना होना जिसमें समय अन्तराल का कारण स्पष्ट हो जिससे महाविद्यालय का सक्षम अधिकारी सन्तुष्ट हो।
37. **स्नातक कक्षाओं के लिए आवेदकों को पुनः उसी कक्षा में किसी विषय या स्कूल में अध्ययन हेतु प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिस कक्षा का उन्होंने पास कर लिया है। उदाहरण के तौर पर बी.एस–सी. पास करने वाले**

विद्यार्थी बी.एस–सी. में किसी दूसरे भिन्न विषयों के समूह के साथ या बी.ए./बी.कॉम. में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। हालांकि स्नातकोत्तर कक्षाओं में एक बार किसी विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी दूसरे विषय में अर्हता पूर्ण करने के लिए उपरान्त योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है।

2. अध्ययन–पाठ्यक्रम

विषय चयन सम्बन्धी सूचना पढ़कर ही विषयों का चयन करें। गलत विषय चयन करने के पश्चात् होने वाली हानि का उत्तरदायित्व केवल छात्र का ही होगा।

(क) स्नातक पाठ्यक्रम

(1) कला स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ए0 उपाधि हेतु)

(1) हिन्दी साहित्य (2) संस्कृत साहित्य (3) अंग्रेजी साहित्य (4) इतिहास (5) राजनीति विज्ञान (6) अर्थशास्त्र (7) समाज शास्त्र (8) शिक्षाशास्त्र (9) भूगोल (10) मनोविज्ञान (11) चित्रकला (12) भारतीय संगीत (13) सांख्यिकी (14) गणित

टिप्पणी

1. निम्नलिखित विषय एक साथ नहीं लिए जा सकते :
   क. सांख्यिकी के साथ संगीत
   ख. मनोविज्ञान के साथ सांख्यिकी
2. बी0ए0 प्रथम वर्ष के छात्र भूगोल, चित्रकला व मनोविज्ञान विषयों का चयन तभी कर सकते हैं जब उन्होंने उक्त विषय में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। भूगोल विषय चयन करने हेतु गणित अथवा जीवविज्ञान के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी भी अर्ह होंगे।
3. गणित के साथ केवल सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा भूगोल विषय ही लिये जा सकते हैं।
4. संगीत विषय वे ही अभ्यर्थी ले सकते हैं जिनका 10+2 में संगीत विषय रहा हो या जिन्होंने भातखण्डे अथवा प्रयाग संगीत समिति से मध्यमा/सीनियर डिप्लोमा/चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। अन्य प्रतिभावान अभ्यर्थी यदि संगीत विषय लेने का इच्छुक हो तो विभागाध्यक्ष/ संकायाध्यक्ष उसकी स्वर परीक्षा लेकर प्रवेश संस्तुत करा सकते हैं।
5. स्नातक (बी.ए.) स्तर पर केवल वही छात्र गणित विषय का चयन कर सकेंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा में गणित का अध्ययन किया हो।
6. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न विषयों में स्नातक स्तर (कला) पर शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर छात्र हित में सीटें निर्धारित की जा सकती हैं जो कि समस्त अभ्यर्थियों को मान्य होगी।

(2) विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम (बी.एस–सी. NEP-2020) उपाधि हेतु बी.एस–सी. उपाधि निम्न विषय समूह उपलब्ध है:

रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान, भौतिकी, गणित व सांख्यिकी

(3) वाणिज्य स्नातक पाठ्यक्रम (बी0कॉम0 NEP-2020)

बी0कॉम0 उपाधि हेतु सभी अनिवार्य विषय लेने होंगे। विस्तृत जानकारी वाणिज्य विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(ख) दो वर्षीय सेमेस्टर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं–

(1) कला संकाय (एम.ए. उपाधि)

हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, चित्रकला, सांख्यिकी, गणित

(2) विज्ञान संकाय (एम.एस–सी. उपाधि)

रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, भौतिकी, गणित, सांख्यिकी

(3) वाणिज्य संकाय (एम.कॉम. उपाधि)

विस्तृत जानकारी वाणिज्य विभाग से प्राप्त करें।

(4) व्यावसायिक पाठ्यक्रम

1. शिक्षक प्रशिक्षण में दो वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एड.)
2. विधि में स्नातक उपाधि (एलएल.बी.)
3. सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि (स्ववित्तपोषित) (बी0एस–सी0–आईटी)
4. पत्रकारिता एवं जन संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (स्ववित्तपोषित) (पीजीडीजेएमसी)
5. जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि (स्ववित्तपोषित) (एम0ए0– मास कम्यूनिकेशन)
6. शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि (स्ववित्तपोषित) (एम0ए0 एजुकेशन)
7. पर्यटन एवं होटलियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (स्ववित्तपोषित) (पी.जी.डी.टी.एच.)

3. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियम

(1) स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश

कक्षा	प्रवेशार्थी का वर्ग	प्राप्तांकों के कुल योग का न्यूनतम प्रतिशत (पाँच विषयों में अर्हता विषयों के साथ)
1. बी0ए0 (प्रथम सेमेस्टर)	सामान्य	इण्टर/समकक्ष 40%
2. बी0एस–सी0 (प्रथम सेमेस्टर)	सामान्य	इण्टर/समकक्ष 45%
3. बी0कॉम0 (प्रथम सेमेस्टर)	सामान्य	इण्टर/समकक्ष 40%

अनु0 जाति व जनजाति छात्र/छात्राओं के लिए 5% की छूट विश्वविद्यालय के नियमानुसार दी जायेगी।

नोट : 39.9 तथा 44.9% अंकों को क्रमशः 40 एवं 45% नहीं माना जायेगा।

1) **सभी संकायों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सीटों की उपलब्धता एवं मेरिट के आधार पर ही निर्धारित तिथि तक किये जायेंगे। स्नातक स्तर पर NEP आधारित पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। विवरण पृष्ठ 12 से 18 पर दिया गया है।**

2) सामान्यतः बी.कॉम. में उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रवेश प्रदान किया जायेगा जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा में वाणिज्य विषय का अध्ययन किया हो, परन्तु कला अथवा विज्ञान वर्गों के छात्र/छात्राओं को भी बी.कॉम. में प्रवेश मिल सकेगा।

3) बी.एससी. में छात्र/छात्रा उसी संवर्ग (विषय समूह) में प्रवेश ले सकेंगे जिसका अध्ययन उन्होंने अर्हकारी परीक्षा में किया हो। इस प्रतिबन्ध का आशय यह है कि जिन छात्र/छात्राओं ने 10+2 स्तर पर गणित संवर्ग (भौतिक, रसायन एवं गणित) विषयों का अध्ययन किया हो वह गणित संवर्ग तथा जिन छात्रों ने जीवन विज्ञान संवर्ग (रसायन, वनस्पति एवं जन्तु विज्ञान) का अध्ययन किया हो वह जीव विज्ञान संवर्ग में ही प्रवेश ले सकेंगे।

4) **स्नातक कक्षाओं में प्रत्येक विषय का एक आन्तरिक आंकलन/परीक्षा 30 अंक की होगी तथा विश्वविद्यालय परीक्षा 70 अंक की होगी। आन्तरिक आंकलन/परीक्षा में भाग लेना विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु अनिवार्य होगा।**

5) मेरिट फार्म कक्षा में प्रवेश हेतु तभी मान्य होगा जबकि अभ्यर्थी ने निर्धारित शुल्क जमा कर फार्म आवेदन पत्र पूर्णतः भरा हो तथा निर्धारित प्रमाण–पत्रों को स्व प्रमाणित करके यथास्थान अपलोड किया गया हो। अन्य नियम पृष्ठ 6 पर।

4. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियम

विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए सेमेस्टर प्रणाली लागू है। सेमेस्टर प्रणाली में निम्न बिन्दु प्रमुख हैं :

(i) स्नातकोत्तर डिग्री चार सेमेस्टर में प्राप्त की जा सकेगी। प्रत्येक शैक्षिक सत्र में दो सेमेस्टर होंगे।

(ii) **सेमेस्टर प्रणाली में छात्र की उपस्थिति का विवरण क्रमशः विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य से अग्रसारित कर विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है। केवल 75% उपस्थिति वाले छात्रों को ही संबंधित सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।**

(iii) स्नातकोत्तर सेमेस्टर में प्रत्येक छात्र के दो आंतरिक आंकलन (Internal Assessment) (20+20 अंक प्रति कोर्स) होंगे। आंतरिक आकलन विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथियों पर होगा तथा इनमें प्राप्त प्राप्तांक सेमेस्टर परीक्षाफल में जोड़े जायेंगे। विश्वविद्यालय परीक्षा 60 अंक प्रति कोर्स होगा।

(क) एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर के लिए वि.वि. द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये आवेदन हेतु अर्हकारी परीक्षा (बी0ए0/समकक्ष) में कम से कम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रायोगिक विषयों भूगोल, मनोविज्ञान व चित्रकला में प्रवेश हेतु, स्नातक स्तर पर इन विषयों का होना आवश्यक है। मनोविज्ञान विषय में प्रवेश हेतु विज्ञान विषय में स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी भी अर्ह होंगे। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत Website में दिये गये नियमों के आधार पर एम0ए0 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को मेरिट फार्म भरकर निर्धारित तिथि तक संलग्नकों सहित ऑनलाइन फार्म जमा करना होगा। निर्धारित सीटों पर मेरिट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थी ही प्रवेश आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश समिति के सम्मुख आवश्यकतानुसार प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करके प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

(ख) एम0एस–सी0 प्रथम सेमेस्टर प्रवेश के लिए वि.वि. द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

(i) एम0एस–सी0, प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा विधि मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय बी0एस–सी0 परीक्षा कम से कम 45 % अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेंगे, जिसके लिए मेरिट फार्म भरकर निर्धारित संलग्नकों सहित संबंधित कार्यालयों/ऑनलाइन रूप में अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना होगा। मेरिट में स्थान आने पर प्रवेश आवेदन पत्र में माँगे गये संलग्नक प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

(ii) **प्रत्याशी केवल उसी विषय में प्रवेश ले सकते हैं, जो उन्होंने बी0एस–सी0 स्तर पर मुख्य विषय के रूप में लिया है। जिन विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में दो विषय चयन करने का प्रावधान है, ऐसे विश्वविद्यालयों के प्रत्याशी अन्तिम वर्ष में चयनित विषयों में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।**

(ग) एम0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर प्रवेश के लिए वि.वि. द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

(i) बी0कॉम0 अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य विषय के साथ न्यूनतम 45% के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेंगे जिसके लिए मेरिट फार्म भरकर स्वप्रमाणित वांछित संलग्नकों सहित संबंधित विभाग/ऑनलाइन रूप में अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना होगा। मेरिट सूची में स्थान आने पर प्रवेश आवेदन पत्र में मांगे गये मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

(ii) कला तथा विज्ञान वर्ग में अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर 50% अंकों व गणित/अर्थशास्त्र के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा किन्तु उन्हें क्वालिफाइंग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।

5. शिक्षक प्रशिक्षण में स्नातक (बी0एड0) कक्षा में प्रवेश हेतु नियम

बी0एड0 कक्षा में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है।

6. विधि स्नातक (एल–एल0बी0) कक्षाओं के प्रवेश हेतु

विधि स्नातक की उपाधि का व्यावसायिक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का है। इसे 6 सेमेस्टरों में विभाजित किया गया है। पाठ्यक्रम 'बार काउंसिल ऑफ इण्डिया' के नवीनतम निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें चार प्रश्न–पत्र प्रायोगिक भी हैं। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी ध्यान दें कि प्रायोगिक विषयों की तैयारी के लिए उन्हें दिन में न्यायालय में जाना पड़ता है।

(1) विधि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों तथा मेरिट के आधार पर होगा।

(2) विधि की कक्षाएं दिन में होती हैं। अतः सेवारत अभ्यर्थियों को अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है और अध्ययन के दिनों का अवकाश लेने पर ही वे प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

(3) प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर की परीक्षा में क्रमशः न्यूनतम 45 % एवं 42 % अंक होना अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य हैं।

(4) छः सेमेस्टर विधि स्नातक के नये पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी छात्र/ छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा में उपाधि प्राप्त करनी होगी।

(5) एल–एल0बी0 कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित नियमावली में 'बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया' के अनुसार कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

(6) शासनादेश संख्या 528 (11 15–(30 शि.) 71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र एलएल0बी0 की

परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। संकाय अध्यक्ष/प्राचार्य/कुलपति महोदय द्वारा विशेष परिस्थितियों में दी गई छूट के बाद भी बार काउंन्सिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार किसी भी छात्र की 66% से कम उपस्थिति नहीं होनी चाहिए।

(7) जो छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में विधि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेंगे उनका प्रवेश किसी अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं होगा। उन्हें इसी महाविद्यालय से विधि की उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(8) विधि तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नये नियमों के अनुसार दिया जायेगा।

7. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों पी0जी0डी0जे0एम0सी0, पी0जी0डी0टी0एच0, बी.एससी. (आई0टी0), एम0ए0 (मास कम्युनिकेशन) व एम0ए0 (एजूकेशन) में प्रवेश हेतु अर्ह कक्षा के न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य है। प्रवेश मेरिट आधारित होंगे। शुल्क व प्रवेश प्रक्रिया व अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित विभाग में सम्पर्क करें। **इस विभाग द्वारा त्रैमासिक 'डी.ए.वी.' न्यूज लैटर नियमित प्रकाशित किया जाता है।**

8. मेरिट आधारित प्रवेश (ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा)

पहले छात्रों को मेरिट फार्म भरकर जमा करना होगा। मेरिट में स्थान पाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्नातकोत्तर स्तर पर ऐसे आवेदन फार्म निरस्त कर दिये जायेंगे जिसमें स्नातक स्तर के समस्त सेमेस्टर/वर्षों की अंक तालिकाओं के लिखित तथा प्रायोगिक/मौखिक पूर्णांक तथा प्राप्तांक अलग–अलग नहीं दर्शाए गए होंगे। मेरिट द्वारा प्रवेश हेतु एक प्रवेश समिति होगी जो निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्राप्त मेरिट व प्रवेश आवेदन–पत्रों के आधार पर लिस्ट तैयार करायेगी। मेरिट लिस्ट तथा वेटिंग लिस्ट निर्धारित तिथि तक नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर लगा दी जायेगी। प्रत्याशी इस लिस्ट को देखना स्वयं सुनिश्चित करेंगे। प्रत्याशियों को लिस्ट में निर्दिष्ट तिथि, समय व स्थान पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिसमें उनकी प्रमाण पत्रों आदि का सत्यापन तथा विषय में उनकी अभिरुचि का आंकलन किया जायेगा। प्रवेश समिति को अधिकार होगा कि विशेष परिस्थितियों में मेरिट में नाम होने के बाद भी प्रवेश देने से इन्कार कर दे। साक्षात्कार के समय सभी अभिलखों की मूल प्रति दिखाना अनिवार्य होगा।

अपने आवेदन–पत्र के साथ अर्ह परीक्षा की अंक–तालिकाओं की स्वसत्यापित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें।

अधूरे भरे आवेदन–पत्र जिनके साथ वांछित संलग्नक नहीं लगे हैं, निरस्त कर दिये जायेंगे।

मेरिट तैयार करने में पूरी सावधानी बरती जाती है, किन्तु फिर भी यदि कोई त्रुटि किसी समय भी ज्ञात होती है तो उसे दूर किया जायेगा, चाहे इससे किसी प्रत्याशी की मेरिट पर कोई भी प्रभाव पड़ता हो। त्रुटिवश मेरिट सूची में आया कोई नाम प्रवेश का हकदार नहीं होगा। उसे किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रवेश समिति को होगा।

यदि 'मेन लिस्ट' के प्रत्याशियों के प्रवेश के बाद रिक्त रहते हैं तो 'वेटिंग लिस्ट' के प्रत्याशियों को अवसर दिया जायेगा। वेटिंग लिस्ट एक से अधिक भी हो सकती है जो सीटें रिक्त होने पर क्रमशः घोषित की जायेगी।

सभी संकायों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु सूची में नाम आने पर यदि निर्धारित तिथि तक छात्र प्रवेश नहीं लेता है तो उसका दावा समाप्त हो जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से सम्पर्क किया जा सकता है।

Note: The college shall have the right to deny admission or cancel the admission granted to an applicant without assigning any reason.

9. आरक्षण

(क) प्रत्येक कक्षा में **उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1) 2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 जिसको शासनादेश संख्या 1968/XXX(2)2006 दिनांक 24 जुलाई 2006 व शासनादेश दिनांक 27.10.2017 द्वारा संशोधित किया गया द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होगा।** तदनुसार अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जन जाति 4%, अन्य पिछड़े वर्ग(नॉन क्रीमी लेयर) 14%। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण देय होगा, महिलाएँ/छात्राएँ 30%, भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों 2%, दिव्यांग 5%, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 2%। आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें।

(ख) प्रत्येक कक्षा के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में अधिकतम 5 अंकों की छूट दी जायेगी। बशर्ते विश्वविद्यालय द्वारा किसी कक्षा हेतु न्यूनतम अंक निर्धारित न किये हों। **EWS श्रेणी का 10% आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा में सीटें बढ़ाने पर ही अनुमन्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश में आरक्षण का लाभ महाविद्यालय द्वारा तभी दिया जायेगा जबकि उनका संबंधित श्रेणी का आरक्षण प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड के किसी जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। किसी अन्य राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र प्रवेश में आरक्षण का लाभ देने हेतु मान्य नहीं होगा।**

10. प्रवेश हेतु अधिमानित अंक (वेटेज)

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की खण्डपीठ के आदेश सं 350/2016 के आधार पर निम्न प्रकार वरीयता अंक (वेटेज) दिये जायेंगे:

'क' श्रेणी (Category 'A') (स्वयं द्वारा अर्जित) कुल अधिकतम 5% (केवल सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर)

1. **खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र/छात्रा (कुल अधिकतम 5%)**
   (i) राज्य/जोनल 3%
   (ii) राष्ट्रीय स्तर 5%

2. **एन0सी0सी0 (कुल अधिकतम 3%)**
   (i) 'B' प्रमाण पत्र 1% अथवा
   (ii) 'C' प्रमाण पत्र 2%
   (iii) राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी/राज्य या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 3%
3. **एन0एस0एस0 (कुल अधिकतम 3%)**
   (i) एन0एस0एस0 'B' प्रमाण–पत्र 1%
   (ii) एन0एस0एस0 'C' प्रमाण–पत्र धारक 2%
   (iii) राष्ट्रीयता एकता शिविर या गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी 3%
4. **स्काउट/रोवर्स/रेंजर्स (कुल अधिकतम 2%)**
   (i) राज्य पुरस्कार 1%
   (ii) राष्ट्रीय पुरस्कार 2%
5. AIU अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थान ग्रहण करने पर

व्यक्तिगत	प्रथम 4%	द्वितीय 3%	तथा	तृतीय 2%
टीम	प्रथम 3%	द्वितीय 2%	तथा	तृतीय 1%

(अधिकतम 4%)

11. विश्वविद्यालय नामांकन

ऐसे समस्त छात्रों को जो हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में नामांकित (एनरोल्ड) नहीं हैं, अपना नामांकन (एनरोलमैन्ट) इस विश्वविद्यालय में कराना होगा। विश्वविद्यालय में नामांकन शुल्क तथा प्रवजन प्रमाण–पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट), जहाँ आवश्यक हो, का आवेदन पत्र प्राचार्य के माध्यम से कुलसचिव, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जायेगा। यह छात्र का उत्तरदायित्व है कि वह नामांकन आवेदन–पत्र भरे तथा मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र, परीक्षा–आवेदन पत्र के साथ जमा करे।

12. उपस्थिति

कोई भी छात्र/छात्रा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 75% से कम उपस्थिति है, विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में प्राचार्य की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के कुलपति इस प्रावधान में छूट दे सकते हैं। (विस्तृत विवरण पृष्ठ 19–20 पर है)

किसी भी प्रयोगात्मक विषय में लिखित और प्रायोगिक अलग–अलग पाठ्यक्रम माने जायेंगे और उनमें अलग–अलग उपस्थिति आवश्यक होगी। लिखित में उपस्थिति का तात्पर्य व्याख्यान, ट्यूटोरियल और सेमिनार में उपस्थित रहने से है।

13. नियन्ता मण्डल

कॉलेज प्रांगण में छात्र/छात्राओं में अनुशासन एवं समुचित शैक्षिक वातावरण बनाये रखने हेतु एक वरिष्ठ प्राध्यापक के नेतृत्व में नियन्ता मण्डल का गठन किया जाता है। नियन्ता मण्डल में शिक्षक नियंताओं के साथ प्रीफेक्ट के रूप में छात्र/छात्राओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

14. परिचय–पत्र

प्रवेश के समय सभी छात्रों को शुल्क रसीद के साथ परिचय–पत्र जारी किया जाता है। निर्धारित तिथि तक इस परिचय–पत्र को स्वयं मुख्य नियन्ता से हस्ताक्षरित करा लेना अनिवार्य है। छात्र हर समय अपना परिचय–पत्र अपने पास रखें और जब भी कॉलेज अधिकारी उसे देखने की माँग करें, तुरंत दिखायें। यदि परिचय–पत्र खो जाये तो इसकी प्रथम सूचना (तहरीर) पास के पुलिस थाने या चौकी में अवश्य करानी होगी। दूसरा परिचय–पत्र (Duplicate I-Card) कॉलेज कार्यालय से पचास रुपये (50/–) शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु आवेदन प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) की प्रमाणित प्रतिलिपि फोटोग्राफ व वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र के साथ मुख्य नियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करें। इस विषय में मुख्य नियन्ता का निर्णय ही अन्तिम होगा। छात्र/छात्रायें अपने बने हुए परिचय–पत्र मुख्य कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्राप्त करें। अन्य किसी का परिचय पत्र कोई छात्र प्राप्त नहीं कर पायेगा।

15. छात्रवृत्तियाँ एवं शुल्क विमुक्ति

कॉलेज में सभी प्रकार की शासकीय छात्रवृत्ति प्राप्य है। उच्च शैक्षिक योग्यताधारी निर्धन छात्रों को सरकार द्वारा निर्धारित कोटा के अन्तर्गत पूर्ण और अर्ध शुल्क–विमुक्ति प्रदान की जाती है। पिछले सत्र में दी गई शुल्क–विमुक्ति का स्वयमेव सततीकरण नहीं होगा और न ही कोई छात्र इस आधार पर स्वतः प्राप्त करने का अधिकारी होगा। शुल्क विमुक्ति एवं छात्रवृत्ति अनुशासन भंग करने, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, अध्ययन में असंतोषजनक प्रगति अथवा परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग की दशा में निलम्बित की जा सकती है।

बर्सरी छात्रवृत्ति या वजीफा पाने वाले छात्र शुल्क–विमुक्ति हेतु हकदार नहीं होंगे। यदि किसी छात्र को शुल्क–विमुक्ति मिल रही है और उसे छात्रवृत्ति भी मिल जाती है तो जिस तिथि से छात्रवृत्ति मिल रही है, उस तिथि से शुल्क–विमुक्ति समाप्त कर दी जायेगी। यदि किसी योग्यता छात्रवृत्तिधारी छात्र को बर्सरी छात्रवृत्ति मिल जाती है, तो उसको देय बर्सरी छात्रवृत्ति की धनराशि में से योग्यता की राशि के समतुल्य कटौती कर दी जायेगी एवं काटी गई राशि में से अन्य छात्रों को बर्सरी दी जायेगी।

डॉ0 राजीव जैन स्मृति छात्रवृत्ति के अन्तर्गत एम.ए./एम.एस.सी. सांख्यिकी के अंतिम वर्ष (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के संयुक्त योग) में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को इक्कतीस सौ रूपये का नगद पुरस्कार से 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को सम्मानित किया जायेगा।

डॉ0 दिनेश प्रताप स्मृति पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति के अन्तर्गत एम.ए. प्रथम वर्ष भूगोल (सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय संयुक्त योग) में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दस हजार रूपये का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जायेगा जोकि रेखांकित चैक के माध्यम से आगामी 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को प्रदान किया जायेगा। (सौजन्य – डॉ. आराधना दिनेश प्रताप)

16. चिकित्सकीय सुविधायें

महाविद्यालय में नियमित छात्र–छात्राओं हेतु प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है जिसे महाविद्यालय समयावधि में प्रशिक्षित चिकित्सीय सहायक को दिखा कर, छात्र–छात्राओं द्वारा दवा इत्यादि प्राप्त की जा सकती है।

17. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु शुल्क विमुक्ति व छात्रवृत्तियां

(i) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो छात्र/छात्रायें उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी हैं, केवल उन्हें ही शुल्क विमुक्ति का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(ii) अन्य नियम सम्बंधित फार्म पर दिए गए हैं। जिसमें ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। छात्रवृत्तियां समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

18. पुस्तकालय एवं वाचनालय

कॉलेज में पूर्ण रूपेण सज्जित पुस्तकालय है, जिसमें दो लाख से अधिक पुस्तकें तथा विभिन्न विषयों के अनेक स्तरीय शोध ग्रन्थ उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में एक सन्दर्भ कक्ष की भी व्यवस्था है जहाँ उच्च स्तरीय ग्रन्थ अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं। विभिन्न स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए सम्बन्धित विभागों में विभागीय पुस्तकालयों की अलग से व्यवस्था है। एक बड़ा वाचनालय भी है। इसमें दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र–पत्रिकाएँ उपलब्ध रहती हैं।

19. प्रयोगशालायें

प्राणि विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सांख्यिकी, भूगोल, चित्रकला, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत विभागों में पूर्ण सज्जित प्रयोगशालायें हैं, जहाँ प्रायोगिक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधायें हैं।

20. शोध कार्य

कॉलेज के स्नातकोत्तर विभागों में शोध सुविधायें उपलब्ध हैं। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीएसटी, यूकॉस्ट व अन्य संस्थाओं के सहयोग से चलने वाली शोध परियोजनाओं के लिए भी महाविद्यालय में व्यवस्थाएं हैं। पीएच–डी के लिए भी महाविद्यालय में पर्याप्त सुविधाऐं उपलब्ध हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अन्तर्गत शोध कराये जाते हैं। शोध छात्र/छात्राओं का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है।

(1) कॉलेज में शोध छात्रों को चयन के बाद अपना पंजीकरण कराना होता है जिसका शुल्क वर्तमान में रु0 3055/– है। शोध छात्रों की स्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होगी।

21. कॉलेज की सदस्यता

कॉलेज में छात्रों के प्रवेश तब तक अनन्तिम (प्रोविजनल) माने जायेंगे जब तक वे प्राचार्य द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिये जाते हैं। सभी छात्र कॉलेज के सदस्य तब माने जायेंगे, जब उनका प्रवेश आवेदन प्राचार्य द्वारा स्वीकार कर लिया जाये और उन्होंने कॉलेज की सम्पूर्ण शुल्क राशि तथा वांछित आवश्यक पत्रजात जमा कर दिए हों। किसी भी छात्र द्वारा कॉलेज शुल्क जमा कर देना मात्र उसका कॉलेज में प्रवेश का दावा स्थापित नहीं कर देता।

यदि किसी छात्र/छात्रा का पिछले शैक्षिक सत्र में चाल–चलन संतोषजनक न रहा हो, या वह परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग अथवा अभद्र व्यवहार का दोषी हो अथवा किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो, जिसका सम्पर्क अन्य छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ऐसे प्रवेशार्थी को पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई छात्र/छात्रा कॉलेज की कोई सम्पत्ति, एन0सी0सी0 वर्दी, प्रयोगशाला उपकरण या कोई अन्य समान आदि वापस नहीं करता अथवा उसके द्वारा खोये किसी समान की पूर्ति अथवा उसके मूल्य का भुगतान नहीं करता, तो कॉलेज प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से वंचित करने की संस्तुति विश्वविद्यालय को करें।

22. छात्रसंघ

छात्रसंघ, महाविद्यालय के विद्यार्थियों का प्रतिनिधि निकाय है जिसका गठन प्रतिवर्ष छात्रसंघ के संविधान एवं इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय तथा लिंगदोह समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार किया जाता है। वर्तमान में छात्रसंघ गठन सम्बन्धी प्रमुख नियम निम्न प्रकार हैं:–

(1) प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से 6 से 8 सप्ताह के अन्तर्गत संस्था स्तर पर छात्रसंघ चुनाव कराना आवश्यक होगा। छात्रसंघ कार्यकारिणी में पदाधिकारियों सहित 11 सदस्य होंगे। नामांकन से लेकर प्रचार तथा परिणाम घोषित होने तक सम्पूर्ण प्रक्रिया 10 दिन के अन्दर सम्पन्न कराई जायेगी। छात्रसंघ चुनाव में स्नातक विद्यार्थियों की आयु सीमा 17 से 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा अधिकतम 25 वर्ष है। कोई भी प्रत्याशी पदाधिकारी पद हेतु एक बार तथा कार्यकारिणी पद हेतु दो बार चुनाव लड़ सकेगा। निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण (पद–ग्रहण) चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर कराया जाना अनिवार्य होगा। आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा संस्था के अनुशासन को भंग करने पर दण्डित किया गया/गई छात्र/छात्रा छात्रसंघ चुनाव लड़ने हेतु अनर्ह होगा/होगी। नामांकन प्रपत्र में प्रत्याशी को वही नाम लिखना होगा जो उसके हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में है। चुनाव सम्बन्धी अद्यतन आचार संहिता चुनाव घोषित होने के समय उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) चुनाव आचार संहिता, निर्धारित नियम एवं व्यवस्थाएं लिंगदोह समिति/माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होगी जिनको विस्तार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वैबसाइट (www.ugc.ac.in) पर देखा जा सकता है। छात्रसंघ आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पदच्युत भी किया जा सकता है।

(3) महाविद्यालय के प्राचार्य छात्रसंघ के पदेन संरक्षक हैं तथा किसी भी विवाद में उनका निर्णय सर्वमान्य व अन्तिम होगा।

23. क्रीड़ा सुविधायें

महाविद्यालय में एक क्रीड़ा परिषद् है जिसमें महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु विभिन्न खेलों यथा फुटबॉल, वालीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेबिल–टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिन्टन, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, बॉडी–बिल्डिंग आदि की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। इन में छात्र–छात्रायें भाग ले सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा

आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया अगस्त माह में प्रारम्भ होती है। उपरोक्त खेलों में भाग लेने के इच्छुक छात्र–छात्रायें क्रीड़ा कार्यालय में क्रीड़ा सचिव/खेल प्रबन्धक से सम्पर्क कर सायं 5 से 7 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

24. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0)

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की एक इकाई में 100 छात्र/छात्रायें (स्वयंसेवी) होते हैं तथा प्रत्येक इकाई का एक कार्यक्रम अधिकारी (महाविद्यालय का शिक्षक/शिक्षिका) होता है, जो कि अपनी इकाई की गतिविधियों का संचालन करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में छात्र/छात्रा को लगातार दो वर्ष पंजीकृत रहना आवश्यक है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत मुख्य रूप में दो प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है–

(1) नियमित कार्यक्रम (प्रत्येक वर्ष 120 घंटे, दोनों वर्षों में कुल 240 घण्टे)

(2) सात दिवसीय रात दिन का विशेष शिविर कार्यक्रम

सम्प्रति महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल 08 (आठ) इकाइयाँ हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा आवंटित हैं, जिसके अंतर्गत 800 स्वयंसेवियों का नामांकन किया जायेगा।

क्र.सं.	इकाई की प्रकृति	इकाईयों की संख्या	आवंटित छात्र/छात्रा संख्या
1.	स्नातक (छात्र)	04	400
2.	स्नातक (छात्रा)	03	300
3.	स्नातकोत्तर (छात्र)	01	100

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 319/XXIV(9) रा.से.यो./76(6) दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुपालन में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई है–

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम में निरन्तर 2 वर्ष की सहभागिता तथा दिन–रात के एक शिविर में भाग लेने पर स्वयंसेवी को A+ प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम में निरन्तर 2 वर्ष की सहभागिता तथा दिन–रात के दो विशेष शिविर कार्यक्रमों में भाग लेने पर स्वयंसेवी को A+ प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम वर्ष के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित 'B' प्रमाण–पत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी। 'C' प्रमाण–पत्र परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करने अर्थात् उत्तीर्ण होने तथा नियमित कार्यक्रम में 2 वर्ष पश्चात् 240 घण्टे की सहभागिता पूर्ण होने पर ही स्वयंसेवी को प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। 'B' प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्वयंसेवी को निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर 'C' प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(i) राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम में लगातार 2 वर्षों में 240 घण्टे की सहभागिता।

(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में शत्–प्रतिशत् उपस्थिति।

(iii) राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित रात व दिन के कम से कम एक विशेष शिविर में सक्रिय सहभागिता।

(iv) राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी का कार्य व्यवहार उत्तम हो तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित न हो।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 312/(1) 2008–11/2005 दिनाँक 5 जून, 2008 के अनुपालन में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण–पत्र धारकों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर/अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिमान (वैटेज) अंक प्रदान किये जायेंगे।

25. राष्ट्रीय कैडिट कोर (एन0सी0सी0)

स्नातक स्तरीय छात्र/छात्राओं के लिए एन0सी0सी0 की अलग–अलग सुविधा उपलब्ध है। इन्हें एन0सी0सी0 अधिकारियों की देख–रेख में संचालित किया जाता है। इसमें चयन हेतु एक शारीरिक क्षमता परीक्षा होती है। एन0सी0सी0 में प्रति सप्ताह में चार घंटे परेड की ट्रेनिंग होती है तथा उसमें 75% उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति में छूट केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है। जो कैडिट कॉलेज या विश्वविद्यालयों या केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित युवक समारोहों में प्रतिनिधित्व करने जायेंगे अथवा पर्वतारोहण संस्थानों द्वारा सम्पादित पर्वतारोहण पाठ्यक्रमों में भाग लेने जायेंगे, उन्हें इस दौरान परेड में उपस्थित माना जायेगा।

नोटः विद्यार्थी एन0सी0सी0 तथा एन0एस0एस0 में से केवल एक ही चुन सकता है।

26. रोवर व रेन्जर

महाविद्यालय में छात्र और छात्राओं के लिए रोवर व रेन्जर इकाईयाँ भी गठित हैं जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी भाग लेकर राष्ट्र सेवा कर सकते हैं।

27. सांस्कृतिक समिति

महाविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सांस्कृतिक समिति भी गठित हैं जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी भाग लेकर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं।

28. कॉलेज पत्रिका 'जिज्ञासा'

छात्रा–छात्राओं में सृजनात्मक अभिरुचि उत्पन्न करने के ध्येय से कॉलेज प्रतिवर्ष 'जिज्ञासा' नामक पत्रिका प्रकाशित करता है। इसमें छात्रों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रचनाओं के अतिरिक्त कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।

29. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र (2705) में स्नातकोत्तर प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता विज्ञान, पर्यटन प्रबंधन, वाणिज्य, अंग्रेजी, लोक प्रशासन, इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र आदि विषयों में तथा विज्ञान, कला, वाणिज्य तथा पर्यटन प्रबन्धन में स्नातक तथा विभिन्न रोज़गारोन्मुख डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय द्वारा ऑडियों/विजुअल अध्ययन सामग्री के

साथ श्रेष्ठ पुस्तकें भी उपलब्ध करायी जाती हैं। महाविद्यालय के छात्र/छात्रा अपनी कौशल वृद्धि हेतु सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्सेस साथ–साथ कर सकते हैं।

30. कैरियर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेवा

महाविद्यालय में छात्रों के रोज़गारपरक मार्गदर्शन तथा विषय चयन में सहायता देने हेतु महाविद्यालय कैरियर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेवा कार्यरत है। इस सेवा का कार्यालय महाविद्यालय परिसर में ही अवस्थित है। इस सेवा द्वारा विषय चयन में मार्गदर्शन के साथ छात्रों के व्यक्तित्व एवं क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन पूर्ण करते ही छात्रों को रोजगार दिलवाने हेतु परिसर साक्षात्कार भी आयोजित किये जाते हैं। विगत सत्र में उपरोक्त सेवा के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न कम्पनियों में रोजगार प्रदान कराने की व्यवस्था की गई।

31. जमाराशि एवं उनकी वापसी

पुस्तकालय	स्नातक स्तर	रु0 60/–
	स्नातकोत्तर स्तर	रु0 100/–
प्रयोगशाला	स्नातक स्तर	रु0 60/–
	स्नातकोत्तर स्तर	रु0 100/–

1. यह जमाराशि टूट–फूट और क्षति की भरपाई, यदि कोई हो, काटने के बाद वापस की जायेगी।
2. यह जमाराशि छात्र को उसके उस कक्षा में उत्तीर्ण होने के अथवा उस कक्षा की पढ़ाई छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर ही देय होगी तथा इसका भुगतान टूट–फूट या क्षति की भरपाई करने के बाद रेखांकित चैक द्वारा छात्र के नाम से किया जायेगा।
3. जमाराशि वापस लेने से पूर्व कॉलेज की सभी देय राशियाँ, शुल्क अथवा सम्पत्ति वापिस करनी होगी।
4. सत्र के मध्य में महाविद्यालय से स्थानान्तरण लेने पर उसको महाविद्यालय की सभी सम्पत्ति वापस करनी होगी।

32. Best Practice of the college- Mantrana Debating Society and its activities

'Mantrana Debating Society' of DAV(PG) College was formed in the college under the guidance of Dr Onima Sharma , Coordinator IQAC who believed that the more one fears speaking , the less probability of success one begets, so fear and success are mutually exclusive. It was this gusto and the passion to instill the qualities of public speaking, critical thinking and logical reasoning that catapulted the Society to the fame it has attained today.

In its incipient years the Society has had a representation in International and National events. The annual VoWMantrana Pan India Debate is another diadem in its crown which is organised by the Valley of Word Literature and Arts festival. Mantrana has also organized educational tours of students at Lal Bahadur Shastri National Academy of Adminstration, Indian Military Academy and Regional Science Centre Dehradun on various occasions. The members of Mantrana Society have also represented College at 'Global Youth Summit for Peace and Sustainable Development' as guest speakers, did field research work and survey for 'Lokniti', did volunteer-internship with UCOST among other accomplishments. Mantrana Society established Civil Services Forum on October, 25 2019 for fostering a healthy competition and providing guidance and study material for various government examinations i.e, UPSC, PCS, SSC, SSB, CDS, AFCAT and many more. Various online and offline lectures, group discussions and mock tests have been conducted under its aegis. It has also organized interactive sessions with Dr Sanjeev Chopra, former Director of LBSNAA, Shri Vinod Sharma (Retired IAS Officer) and Group Captain Sangeeta Kathait.

To promote culture of reading and intellectual discussions, Mantrana has also been granted its own space in which it established 'Mantrana Reading Room', fully equipped with a rich collection of literature of diverse genre and study material supporting Mantrana Civil Service Forum. Besides Science Club, Dramatics Club, Poetry Club and Cultural Club have also been established under the rubric of Mantrana Society. The Science Club has been successful in heralding the vision of entrepreneurship in the College by undertaking projects in collaboration with UCOST.

The students of the college can join the Society by filling in the registration forms that are made available during the commencement of a new session. Onsite registration can also be done by filling in the forms available either at the Mantrana Reading Room or the dedicated Registration Desk. The members can also reach out to the Society via social media wherein their queries are responded to, in an expeditious manner.

33. जेंडर सेन्सटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट (GCASH)

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु जेंडर सेन्सटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट (GSCASH) स्थापित की गयी है। यह समिति जिसमें मुख्य रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना संज्ञान में लेती है व कार्यवाही करती है।

34. वेबसाइट एवं शुल्क भुगतान

www.davpgcollege.in

35. रैगिंग पर प्रतिबन्ध

महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतया निषेद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करते या इसके लिए किसी को प्रेरित करते हुए पाया गया/पाई गयी तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र ऑनलाइन दिये गये शपथपत्र पर प्रवेशार्थी तथा उसके अभिभावक को हस्ताक्षर करके प्रवेश आवेदन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक है।

36. UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in the University / College. (यू0जी0सी0 के रैगिंग रोकने संबंधी नियम)

महाविद्यालय ने रैगिंग की समस्या के नियंत्रण हेतु अपने परिसर में रैगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग के निर्देशों मार्च 2009 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं. 310/04/एस.आई.ए. दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रावधान किये हैं–

(1) **रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है:**

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness to any student , indulging in rowdy or undisciplined activities which cause or likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely effect the psyche of a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which some students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect or causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche or a fresher of junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging.

(2) **रैगिंग से सम्बन्धित दण्ड:**

- रैगिंग करने के लिए उकसाना
- रैगिंग करने के लिए अपराध षड्यंत्र
- रैगिंग हेतु गैरकानूनी सभा एवं दंगा करना
- रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना
- रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन
- रैगिंग शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट
- अनुचित रूप से अथवा प्रतिबन्धित करना
- अनुचित रूप से बंधक बनाना
- साथ ही आक्रमण अथवा यौन अपराध या आप्राकृतिक अपराध जबरन वसूली
- अपराधिक अतिक्रमण
- सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध
- अपराधिक रूप से धमकाना
- रैगिंग के शिकार अथवा शिकारों में उपरोक्त में से किसी अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास
- रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध

(3) दण्ड: संस्था की रैगिंग निरोध के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है–

- प्रवेश निरस्त किया जाना
- कक्षा से निलम्बन
- छात्र तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना
- परीक्षा परिणाम रोकना
- किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करना
- छात्रावास से निष्कासन
- निरस्तीकरण
- संस्था से एक से चार सेमेस्टर अवधि हेतु निष्कासन
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किये जाना
- रु. 25 हजार का जुर्माना

जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाये तब सम्भावित रैगिंगकर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

महत्वपूर्ण नोट : आपको https://antiragging.in पर anti-ragging undertaking अनिवार्यता भरनी होगी।

प्रभारी

1.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	श्री जे0पी0 मेहता
2.	पुस्तकालय समिति	डॉ0 एस0के0 सिंह
3.	परीक्षा नियंत्रक	डॉ0 डी0के0 त्यागी
4.	जेंडर सन्सेटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरसमेंट	डॉ0 पारूल दीक्षित
5.	मुख्य नियन्ता	मेजर अतुल सिंह
6.	क्रीड़ा सचिव	डॉ0 विनीत विश्नोई
7.	सम्पादक, महाविद्यालय पत्रिका 'जिज्ञासा'	डॉ0 राखी उपाध्याय
8.	एन0सी0सी0 (पुरुष)	मेजर अतुल सिंह
9.	एन0सी0सी0 (महिला)	डॉ0 अर्चना पाल
10.	एन.एस.एस./रेड रिबन क्लब (वरि. कार्यक्रम अधिकारी)	डॉ0 राकेश लाल
11.	रोवर स्काउट लीडर	डॉ0 अमित कुमार शर्मा
12.	रेंजर स्काउट लीडर	डॉ0 निशा वालिया
13.	पर्यावरण विज्ञान	डॉ0 जे0वी0एस0 रौथाण

समन्वयक

1.	कैरियर काउंसलिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल	डॉ0 रीना उनियाल तिवारी
2.	सांस्कृतिक समिति	डॉ0 अनुपमा सक्सेना
3.	ई–सिस्टम	डॉ0 दीपेन्द्र निगम
4.	कॉलेज टाइम टेबल	डॉ0 यू.एस. राना
5.	सहा. लोक सूचना अधिकारी	डॉ0 जे.एस. चांदपुरी डॉ0 अपूर्व मवई
6.	भवन व रखरखाव समिति	डॉ0 विनीत विश्नोई
7.	इग्नू (IGNOU)	डॉ0 ओनिमा शर्मा
8.	यू0जी0सी0 (UGC/FIST)	डॉ0 प्रशान्त सिंह
9.	वेबसाइट एवं मीडिया	डॉ0 रवि दीक्षित
10.	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समिति	डॉ0 मनमोहन जुवाँठा
11.	ग्रीन ऑडिट समिति	डॉ0 आर. के. पाठक
12.	एंटी रैगिंग सेल	डॉ0 एच. एस. रंधावा
13.	IQAC & NAAC	डॉ0 ओनिमा शर्मा
14.	Prospectus	डॉ0 एच. एस. रधावा

प्राचार्य व लोक सूचना अधिकारी
डॉ0 के.आर. जैन

ACADEMIC SESSION 2022-2023

Subject Combination Based On National Education Policy (NEP)-2020
For Admissions in UG 1ST year (i.e., I and II Semesters)

(Under the guidelines of H.N.B. Garhwal Central University)

IMPORTANT INSTRUCTIONS

(Note: Read carefully before applying in any course.

There is no option of change in subject after getting admission in any class)

1. CORE SUBJECTS

Student who are applying for **UG three-year Degree course will have to study two different Core Subjects 1 and 2 (selected from given subject combinations) in 6 semesters** (I, II, III, IV, V, VI Semesters).

After completing the requirements of a three-year Bachelor's Degree, candidates who secure a minimum CGPA of 7.5 shall be allowed to continue studies in the fourth year of the undergraduate programme to pursue and complete the **Bachelor's Degree with Research/Honours (4 Year)**. These students **will have to study two different Core Subjects 1 and 2 (selected from given subject combinations) in 8 semesters** (I, II, III, IV, V, VI, VII and VIII Semesters).

2. ADDITIONAL SUBJECT

I. Students applying for B.Sc. and B.Com. Classes will have to study one additional subject (Interdisciplinary) for first 4 semesters (i.e. I, II, III, IV semesters).

II. Students applying for B.A. class will have to study one additional subject (Multi disciplinary) for first Year (I & II semesters) and another additional subject (Multi disciplinary) in second year (III, IV semesters).

3. SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC)

All students applying for any U.G. course will have to study **Skill** of Core Subjects-1 in first year (i.e. I, II, Semesters) and **Skill** of core subject-2 in second year (i.e. III, IV Semesters).

4. VALUE ADDITION COURSE (VAC)

I. Students applying for B.A. class will have to study Life Skill and Personality Development as VAC in I semester and EVS as VAC in II semester.

II. Students applying for B.Com. Class will have to study Life Skill and Personality Development as VAC in I semester and EVS as VAC in II semester.

III. Students applying for B.Sc. class will have to study EVS as VAC in I semester and Life Skill and Personality Development as VAC in II semester.

CLASS APPLYING FOR
• B.A.(NEP) SEM 1
• B.Com.(NEP) SEM 1
• B.Sc.(NEP) (PCM) SEM 1
• B.Sc.(NEP) (PMS) SEM 1
• B.Sc.(NEP) (CBZ) SEM 1

Class Applying For	SUBJECT-1 (CORE -1)	SUBJECT-2 (CORE -2)	ADDITIONAL SUBJECT
	Note: Choose any one	Note: Choose any one other than subject-1 (core-1)	Note: Choose any one other than subject-1 (core-1) and subject-2 (core -2)
B.A.(NEP) SEM 1	1. Drawing and Painting	1. Drawing and Painting	1. Drawing and Painting
	2. Economics	2. Economics	2. Economics
	3. Education	3. Education	3. Education
	4. English	4. English	4. English
	5. Geography	5. Geography	5. Geography
	6. Hindi	6. Hindi	6. Hindi
	7. History	7. History	7. History
	8. Mathematics	8. Mathematics	8. Mathematics
	9. Music	9. Music	9. Music
	10. Political Science	10. Political Science	10. Political Science
	11. Psychology	11. Psychology	11. Psychology
	12. Sanskrit	12. Sanskrit	12. Sanskrit
	13. Sociology	13. Sociology	13. Sociology
	14. Statistics	14. Statistics	14. Statistics

Class Applying For	SUBJECT-1 (CORE -1)	SUBJECT-2 (CORE -2)	ADDITIONAL SUBJECT
			Note: Choose any one
B.Com. (NEP) SEM 1	Financial Accounting	Principle of Management	1. Micro Economics
			2. Economy of Uttrakhand

Class Applying For	SUBJECT-1 (CORE -1)	SUBJECT-2 (CORE -2)	ADDITIONAL SUBJECT
	Note: Choose any one	Note: Choose any one other than subject-1 (core-1)	Note: Choose any one other than subject-1 (core-1) and subject-2 (core -2)
B.Sc.(NEP) (PCM) SEM 1	1. Chemistry	1. Chemistry	1. Chemistry
	2. Mathematics	2. Mathematics	2. Mathematics
	3. Physics	3. Physics	3. Physics

Class Applying For	SUBJECT-1 (CORE -1)	SUBJECT-2 (CORE -2)	ADDITIONAL SUBJECT
		Note: Choose any one	Note: Choose any one other than subject-2 (core -2)
B.Sc.(NEP) (PMS) SEM 1	1. Statistics	1. Mathematics	1. Mathematics
		2. Physics	2. Physics

Class Applying For	SUBJECT-1 (CORE -1)	SUBJECT-2 (CORE -2)	ADDITIONAL SUBJECT
	Note: Choose any one	Note: Choose any one other than subject-1 (core-1)	Note: Choose any one other than subject-1 (core-1) and subject-2 (core -2)
B.Sc.(NEP) (CBZ) SEM 1	1. Botany	1. Botany	1. Botany
	2. Chemistry	2. Chemistry	2. Chemistry
	3. Zoology	3. Zoology	3. Zoology

Additional Information with regard to UG(NEP2020) Framework for the session 2022-23 onwards

(For students, who were admitted in previous sessions, the old CBCS will be applicable)

Credit: Number of Credits measure the course work on the basis of minimum time required to be devoted for a course in the form of teaching and practical or tutorial. One credit is equivalent to one hour of teaching in a week and two hours of practical work. **The total number of credits will be 20 in each semester**. Each student has to earn these credits through passing the exam for successful completion of any particular semester.

Core Subjects: Any student can enroll in U.G. program with any two core subjects. The core subjects could only be selected from the subject combinations offered by the University. Students will have to opt two core subjects under U.G. program.

Core: Denotes the compulsory paper/course selected under the Core subject.

Core Elective: Under Core Elective, Student under core subject will be provided a pool of papers/courses from which student will have the option to select the paper/course of his/her preference.

Additional course: This course is apart from the two core subjects which are already selected by the student while enrolling for a U.G. Program. Additional courses offered are of two types: An interdisciplinary course will be of 4 semesters (semester 1- 4) and the multidisciplinary course will be of two semesters for each subject as selected by the student (semester 1-2 or semester 3-4).

I.D- Subjects which provide Additional courses as Interdisciplinary courses will offer the student an opportunity to pursue the same subject as additional course from first to fourth semester. It means student selecting I.D subject in first semester will have to pursue the same subject till 4th semester of U.G. Program.

M.D- Subjects which opt for additional course as multidisciplinary courses will offer the student an option to study multidisciplinary course of one subject in one year (1st and 2nd semester) and that of other subject in another year (3rd and 4th semester).

Skill Enhancement Course: SEC focuses on enhancing the skills of the students related to the two selected core subjects. Students can opt for any one SEC from one core subject in first year (1st and 2nd semester) and SEC of second core subject in second year (3rd and 4th semester).

Value Addition course: These are the courses which are apart from any discipline related courses and aims to add value to the overall personality and development of an individual while focusing on areas such as Life skills, personality development, Communication skills, connecting to environment and community, Culture, traditional and moral values, etc. It is compulsory to study all these value-added courses as offered by the University in different semesters.

Language courses: The language courses are meant to help the student to learn new languages of his/her choices. Student will be provided a pool of languages from which student may opt to study one language in any one semester and the other language in another semester for 2 credits each (5th or 6th semesters).

Self and social Development Course: University/College will offer two courses under SSD that are **(1) Community Connect & Service (2) Extracurricular activities.** Student will have the choice to complete anyone of the two course work.The course objective is to promote student participation in extracurricular activities for their self-development along with increasing their participation and developing within them a responsibility towards social development. Student along with attaining the required credits (160 credits- for 4- year Program/120 credits for 3-year Program) will have to secure additional 2 credits under SSD for completing four-year U.G. course or same 2 credits under SSD if he/she opts to exit after completing 3 years U.G. course. Student will have to take at least one time in any one semester such SSD credits in entire U.G. Program.

Community connect & service Course work: This course is aimed to connect students with community with the objective of understanding their issues and delivering their valuable inputs for the welfare of society. Student will have to offer a minimum of 30 hours of service for completing the course. This mandatory service of 30 hours may be completed in any one semester (from 1st to 8th) through any social activity organized under the banner of "Swaach Bharat", "Ek Bharat Shrestra Bharat", "NSS", "NCC", "Namami Gange" or social activities organised by the Campus or Departments. Student will have to produce a certificate in this regard from the organizers of the event(s).

Extracurricular activities coursework: This course work required student participation in university demarcated activities such as (1) Participation/representation of institution in Intercollegiate activities/State level activities/National level activities.

Additional Multidisciplinary Skill course (AMSC) courses: Under the AMS course the University will provide student a choice to acquire skill in multidiscipline.

Different stages of Four Year U.G. Programme (W.e.f. Academic Session 2022-23) As per the UGC Guidelines Multiple Entry and Exit options will be available for the students.

First Year

Certificate program (for those who exit the Bachelors program after successfully completing I year (2 semesters- I & II) of the U.G. program i.e., securing 40 credits.

Second Year

Diploma program (for those who exit the Bachelors program after successfully completing II year (4 semesters- I, II, III, IV) of the U.G. program i.e., securing 80 credits.

Third Year

3-year bachelor's program (for those who exit the Bachelors program after successfully completing III years (6 semesters- I, II, III, IV, V, VI) of the program, i.e., securing 120 credits along with additional 2 credits under Self and social Development course work (SSD).

After completing the requirements of a three-year Bachelor's Degree, candidates who secure a minimum CGPA of 7.5 shall be allowed to continue studies in the fourth year of the undergraduate programme to pursue and complete the Bachelor's Degree with Research/ Honours (4 Year).

Fourth Year

- 4-year bachelor's (With research) program – (for those students who are inclined towards research and thus extend and continue Bachelor's course to 4th year) and completes total 8 semesters.
- *UG Degree with research will be focused more on research specific studies (Research Methodology, Research writing and Ethics, Research paper presentation skills, Dissertation and research-based field work, etc.) apart from some core and elective papers.*
- 4-year bachelor's (With honours) program – (for those students who have specific inclination towards advanced knowledge in 2 subjects (Major and Minor papers) and thus extend and continue Bachelor's course to 4th year) and completes total 8 semesters.
- 4-year bachelor's program - (6 semesters- I to VIII) of the program, i.e., securing 160 credits along with additional 2 credits under Self and social Development course work (SSD).

U.G. degree with honours along with delivering the basic knowledge of research will focus on delivering knowledge in two subjects of which one will be a major subject and another will be a minor subject.

PG Program

(i) The students having UG 4 Year Degree with Research/ Honours will have an option to get enrolled in 1 Year PG Program.

(ii) Those students who do not opt for/or are not eligible for 4 years U.G. (Honours/Research) will have the option to get enrolled in 2-year PG Program.

(iii) In case of exit after successful completion (securing 40 credits) of first year of the two Years P.G. program, the student will get a P.G. Diploma in concerned discipline.

Rules for Additional Subjects

1. In case of selecting I.D. course under an additional subject the student will have to study the same subject as an additional course for first 4 semesters of U.G. Program. E.g., If a student with Zoology and Botany as Core subjects selects 'Chemistry' as an additional subject then he/she will have to study 'Chemistry' as an additional subject in first 4 semesters (I, II, III, IV semesters).
2. In case of selecting M.D. course under an additional subject the student will have to study one subject as an additional course in first year (I & II semesters) of U.G. Program and another subject as an additional course in another year (III & IV semesters). Example: If a student with Economics and Sociology as Core subjects selects 'History' as an additional (MD) subject for first year then he/she will have to study 'History' as an additional subject in first year (I, II semesters) and if, he/she selects 'Political Science' as an additional subject (MD) for another year then he/she will study 'Political Science' in second year (III & IV) as an additional multidisciplinary subject.

Note: 1 Year PG program (as per NEP) will commence in the session 2026-27.

However, in the present session (2022-23) the PG courses will run as per existing course structure.

Note: Following schools/departments will offer U.G. program as per the guidelines issued by their governing bodies/council.

1. Faculty of Law
2. Faculty of Education

Learning mode: Following will be the learning mode in the U.G. Program:

- All courses may be conducted in blended mode, i.e., 80% offline and 20% online in Bachelor's Degree Programmes.
- Courses will be taught through Lectures, Tutorials and Practical/field-based studies.

Note: The College on the instructions of the affiliating University will have the right to change/modify the course structure or other information mentioned in the prospectus as per UGC guidelines or NEP 2020 suggested framework in future.

COURSE STRUCTURE ALONG WITH CREDIT DISTRIBUTION

(i) For B.Sc. students

Course/Subject Type	Semester-I				Semester-II			
	Subject/Title	No. of paper	Credits		Subject /Title	No. of paper	Credits	
			T	P			T	P
Core Subjects (two)	Core Subject-I	1	4	2	Core Subject-I	1	4	2
	Core Subject-II	1	4	2	Core Subject-II	1	4	2
Additional-Multidisciplinary/ Interdisciplinary	M.D-I/ I.D-I	1	2	2	M.D-II/ I.D-II	1	2	2
SEC	Skill of Subject-I	1	2	-	Skill of Subject-I	1	2	-
Value Addition Course (VAC)	Understanding and connecting with environment	1	2	--	Life Skills & personality development	1	2	-
Total		5	14	6		5	14	6

(ii) For B.A & B.Com. Students

Course/SubjectType	Semester-I			Semester-II		
	Subject/Title	No. of paper	Credits	Subject /Title	No. of paper	Credits
Core Subjects (two)	Core Subject-I	1	6	Core Subject-I	1	6
	Core Subject-II	1	6	Core Subject-II	1	6
Additional-Multidisciplinary/ Interdisciplinary	M.D-I/I.D-I	1	4	M.D-II/I.D-II	1	4
SEC	Skill of Subject-I	1	2	Skill of Subject-I	1	2
Value Addition Course (VAC)	Life Skills & personality development	1	2	Understanding and connecting with environment	1	2
Total		5	20		5	20

Details of Choice Based Credit System (CBCS) with Semester for Under Graduate Students of previous years

OUTLINE OF CHOICE BASED CREDIT SYSTEM FOR OLD STUDENTS OF UG PROGRAMME

1. **Core Course:** A course, which should compulsorily be studied by a candidate as a core requirement is termed as a Core course.
2. **Elective Course:** Generally a course which can be chosen from a pool of courses and which may be very specific or specialized or advanced or supportive to

the discipline/subject of study or which provides an extended scope or which enables an exposure to some other discipline/subject/ domain or nurtures the candidate's proficiency/skill is called an Elective Course.

2.1 Discipline Specific Elective (DSE) Course: Elective courses may be offered by the main discipline/subject of study is referred to as Discipline Specific Elective. The University/ Institute may also offer discipline related Elective courses of interdisciplinary nature (to be offered by main discipline/subject of study).

2.2 Dissertation/Project: An elective course designed to acquire special/advanced knowledge, such as supplement study/ support study to a project work, and a candidate studies such a course on his own with an advisory support by a teacher/faculty member is called dissertation/project.

2.3 Generic Elective (GE) Course: An elective course chosen generally from an unrelated discipline/ subject, with an intention to seek exposure is called a Generic Elective.

Note: Elective papers of other subject which is not taken by a student as core subject. For example, a student having Sociology and Political Science as core subjects in I, II, III, IV, V and VI semester can opt for an elective paper of Geography which shall be called Generic Elective paper/course for that student.

3. Skill Enhancement Courses (SEC): These courses may be chosen from a pool of courses designed to provide value-based and/or skill-based knowledge.

CREDIT SYSTEM UNDER THE CBCS

1. Under the CBCS, students seeking admission in third semester of undergraduate course need to satisfy the following criteria:

"The total credits score of the student (including first and second semester) should be equivalent to the total credits of atleast one semester". For example, if first and second semester consists of 22 credits each then students seeking admission into third semester must have scored minimum of 22 credits, including first and second semester.

2. Students seeking admission into fifth semester of the undergraduate course at B.Sc./B.A./B.Com need to satisfy the following criteria:

"The student must score atleast 66 credits (this includes the combined score of the first, second, third and fourth semester). Student who do not satisfy it shall be considered to be an "Ex-Student".

3. As per CBCS norms it is mandatory on the part of student to appear for sessional examination. No sessional test shall be conducted after the declaration of results of end semester examinations. In case, if any student could not attend the sessional examinations, he can appear in the sessional examination only after the completion of all the semesters by getting re-admission for the course, in which the student missed the sessional examination.

4. Under CBCS system, back paper provision is available for the university examinations, subject to the condition that the student should have filled the prescribed examination form for the respective back paper examination.

1. For B.A. Programme (2021-24)

Semester	S.No.	Course Name	Credits
III	1	English Language-II	06
	2	Skill Based I	04
	3	Subject 1 Core paper III	06
	4	Subject 2 Core paper III	06
IV	1	Hindi/Sanskrit Language/MIL-II	06
	2	Skill Based II	04
	3	Subject 1 Core paper IV	06
	4	Subject 2 Core paper IV	06
V	1	Skill Based III	04
	2	Subject 1 Core paper V	06
	3	Subject 2 Core paper V	06
	4	Generic 1 paper I	06
VI	1	Skill Based IV	04
	2	Subject 1 Core paper VI	06
	3	Subject 2 Core paper VI	06
	4	Generic 2 paper II	06

2. For B.Sc. Programme (2021-24)

Semester	S.No.	Course Name	Credits
III	1	Skill Based I	04
	2	Subject 1 Core paper III	06
	3	Subject 2 Core paper III	06
	4	Subject 3 Core paper III	06
IV	1	Skill Based II	04
	2	Subject 1 Core paper IV	06
	3	Subject 2 Core paper IV	06
	4	Subject 3 Core paper IV	06
V	1	Skill Based III	04
	2	Subject 1 Core paper V	06
	3	Subject 2 Core paper V	06
	4	Subject 3 Core paper V	06
VI	1	Skill Based IV	04
	2	Subject 1 Core paper VI	06
	3	Subject 2 Core paper VI	06
	4	Subject 3 Core paper VI	06

3. For B.Com. Programme (2021-24)

Subject	S.No.	Course Code	Course Name	Course Structure	Periods			Credits
					L	T	P	
B.Com. Sem. III	1	BC-301	Company Law	Core Course C-5	5	1	0	6
	2	BC-302	Income Tax Law and Practice	Core Course C-6	4	1	1	6
	3	BC-303	Hindi/Sanskrit/Modern Indian Language	Language-3	5	1	0	6
	4	BC-304	Computer Applications in Business	Skill - Enhancement Elective Course (SEC)-1(a)	2	0	0	2
			Practical	Skill - Enhancement Elective Course (SEC) -1(b)	0	0	2	2
B.Com. Sem. IV	1	BC-401	Business Communication	Language-4	5	1	0	6
	2	BC-402	Corporate Accounting	Core Course C-7	5	1	0	6
	3	BC-403	Cost Accounting	Core Course C-8	5	1	0	6
	4	BC-404	E-Commerce	Skill - Enhancement Elective Course (SEC)-2(a)	3	0	0	3
			Practical	Skill - Enhancement Elective Course (SEC) -2(b)	0	0	1	1
B.Com. Sem. V	1	BC-501	***Any one of the following*** a. Human Resource Management b. Principles of Marketing	Discipline-Specific Elective (DSE)-1	5	1	0	6
			c (i) Computerised Accounting System		4	0	0	4
			c (ii) Practical		0	0	2	2
	2	BC-502	***Any one of the following*** a. Fundamentals of Financial Management b. Goods and Service Tax (GST)	Discipline - Specific Elective (DSE)-2	5	1	0	6
	3	BC-503	Principles of Micro Economics	Generic Elective (GE)-1	5	1	0	6
	4	BC-504	Entrepreneurship	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-3	4	0	0	4
B.Com. Sem. VI	1	BC-601	***Any one of the following*** a. Corporate Tax Planning b. Banking and Insurance c. Fundamentals of Investment d. Auditing and Corporate Governance	Discipline-Specific Elective (DSE)-3	5	1	0	6
	2	BC-602	***Any one of the following*** a. International Business b. Office Management and Secretarial Practice c. Management Accounting d. Consumer Protection	Discipline -Specific Elective (DSE)-4	5	1	0	6
	3	BC-603	Indian Economy	Generic Elective (GE)-2	5	1	0	6
	4	BC-604	Seminar and Comprehensive Viva-Voce	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-4	0	0	0	4

Note: P.G. Syllabus is available at www.hnbgu.ac.in or can be procured from the respective departments.

CBCS व सेमेस्टर प्रणाली के बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी. में सत्र 2021–24 के छात्र/छात्राओं द्वारा निम्न प्रकार से विषयों का चयन किया जायेगा

1. बी.ए. में छात्र/छात्राओं को तृतीय, चतुर्थ, पंचम व षष्ठ सेमेस्टर में अपने लिये दोनों विषयों में से एक विषय को तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर व द्वितीय विषय को चतुर्थ एवं षष्ठ सेमेस्टर में Skill Enhancement विषय के रूप में अलग से पढ़ना होगा। इस प्रकार चार SEC पेपर पढ़ने पर ही स्नातक की डिग्री मिलेगी।
2. बी.ए. व बी.कॉम. के पंचम व षष्ठ सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं को GE के दो पेपर भी पढ़ने होंगे जो कि इनके द्वारा चयनित दो विषयों के अतिरिक्त होने चाहिए तथा दोनों सेमेस्टर में एक ही विषय रहेगा।

EXAMINATION RULES

The university examination schedule and rules of promotions as prescribed by the HNB Garhwal University will be applicable. Students are required to fill online University examination forms with requisite fees and deposit the hard copies in the college office as per schedule of the university. No separate intimation will be given for that. The answer sheets of the sessional/practical examination will be kept by the department only for one year from the date of the declaration of the result of that class by the university. After 365 days of the declaration of the result by the university, no request regarding the answer sheets will be entertained by the college.

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त छात्रों के लिए सम्बन्धित कक्षाओं में पृथक रूप से प्रत्येक विषय अथवा प्रश्न–पत्र हेतु व्याख्यानों ट्यूटोरियलों एवं प्रायोगिक कक्षाओं में न्यूनतम् 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण न करने वाले छात्र वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी नहीं होंगे।

निम्नलिखित परिस्थितियों में सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष, प्राचार्य की अनुमति से किसी छात्र को न्यूनतम उपस्थिति मानक में 6% तथा विश्वविद्यालय के कुलपति अतिरिक्त 9% तक की छूट दे सकेंगे :

1. यदि कोई छात्र गम्भीर बीमारी से ग्रस्त रहा हो तथा कक्षाओं हेतु पुनः उपस्थित होने के 15 दिन के भीतर पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।
2. कोई अन्य ऐसी गम्भीर परिस्थिति जिसे सक्षम अधिकारी उचित कारण मानें, यदि ऐसी परिस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त छात्र निम्नलिखित हेतु निर्धारित सीमा तक न्यूनतम उपस्थिति मानक में छूट के अधिकारी होंगे।

(अ) यदि किसी छात्र को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा उस परिसर जिसमें छात्र को प्रवेश दिया गया है, संस्था में कोई अध्ययन करने अथवा व्याख्यानों में सम्मिलित होने अथवा प्रयोगिक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया हो, यदि कुलपति महोदय की सहमति से जारी विभागाध्यक्ष के लिखित आदेश तथा सम्बन्धित संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाय तो एक सत्र में अधिकतम 6 सप्ताह तक।

(ब) यदि कोई छात्र एन.सी.सी. कैम्प, एन.एस.एस. कैम्प, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शिक्षण परिभ्रमणों आदि में सम्मिलित हुआ हो, अथवा उसने खेलकूद अथवा संस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा भारतीय सेना में भर्ती परीक्षा दी हो तो सम्बन्धित कार्यक्रम की अवधि तथा उपयुक्त यात्रा दिवसों की सीमा तक, यदि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसे प्रतिभाग को दर्शाने वाला प्रमाण–पत्र कक्षाओं हेतु पुनः उपस्थित होने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाय।

सेमेस्टर पद्धति से संचालित सभी पाठ्यक्रमों हेतु (अकादमिक अध्यादेश खण्ड 28, धारा 14, पृष्ठ सं. 10)

(अ) किसी भी पाठ्यक्रम से सम्बन्धित शिक्षक उस पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ब) सभी शिक्षक उस सेमेस्टर के अन्तिम अनुदेश से सात दिन पहले विभागाध्यक्ष को ऐसे सभी विद्यार्थियों के ब्यौरे उपलब्ध करायेंगे जिनकी उपस्थिति एक या अधिक पाठ्यक्रमों में 75% से कम है।

(स) किसी पाठ्यक्रम में 75% से कम उपस्थित वाले विद्यार्थियों को उस पाठ्यक्रम में अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, हालांकि किसी वैध कारण व निर्धारित शुल्क जमा करने पर संकायाध्यक्ष निर्धारित उपस्थिति में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। परन्तु किसी भी परिस्थिति में 65% से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को यह छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

(द) जो अभ्यर्थी जिनकी उपस्थिति प्रथम सेमेस्टर में 75% से कम है व द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययन नहीं कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी अगले सत्र में प्रथम सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण हेतु सम्बन्धित संकायाध्यक्ष को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय सेमेस्टर में न्यूनतम 75% उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं, उन्हें तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले सत्र में द्वितीय सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण हेतु सम्बन्धित संकायाध्यक्ष को आवेदन कर सकते हैं।

यदि कोई विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में अलग–अलग 75% उपस्थिति दर्ज करता है परन्तु प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में कुल 18 क्रेडिट नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। फलतः वह संस्थागत छात्र नहीं कहलायेगा हालाँकि वह अगले सेमेस्टर की परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में जिस सेमेस्टर में फेल हुआ/हुई थी की परीक्षा दे सकता/सकती है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में भाग लेने की अनुमति ऐकेडेमिक काउन्सिल (विद्या परिषद्) द्वारा ही प्रदान की जायेगी। ऐसा अभ्यर्थी यदि तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त कर लेता/लेती है तो उसे तृतीय सेमेस्टर में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में परीक्षा बैठने की अनुमति दी जायेगी। ऐसे संस्थागत छात्र/छात्रा जिन्होंने न्यूनतम उपस्थिति पात्रता पूर्ण की हो, परन्तु तृतीय सेमेस्अर में प्रवेश हेतु आवश्यक

न्यूनतम क्रेडिट न जुटा पाये हों, पुनः प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता/सकती है। ऐसे छात्र/छात्रा को नये सिरे से उपस्थिति मानक पूर्ण करने होंगे तथा सत्रीय कार्य तथा प्रयोगात्मक कार्य व प्रथम सेमेस्टर तथा द्वितीय सेमेस्टर की अगली सत्रान्त परीक्षाओं में सम्मिलित होना होगा।

पूर्व वर्ष में प्राप्त अंक एवं उपस्थिति अमान्य होंगे। इसी प्रकार ऐसे छात्र/छात्रा जो कि उपाधि हेतु आवश्यक उपस्थिति मानक पूर्ण करते हैं, परन्तु उपाधि प्राप्त हेतु आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्र/छात्रा को नये सिरे से उपस्थिति मानक पूर्ण करने होंगे तथा सत्रीय कार्य प्रयोगात्मक कार्य व तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की अगली सत्रान्त परीक्षाओं में सम्मिलित होना होगा। पूर्व वर्ष में प्राप्त अंक एवं उपस्थिति अमान्य होंगे, हालाँकि किसी भी छात्र/छात्रा को एक सेमेस्टर में दो से अधिक अवसर संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में नहीं दिये जाएंगे।

(य) सत्रान्त सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्मिलित होने में अयोग्य छात्र/छात्राओं के नाम की घोषणा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा इसकी एक प्रति संकायाध्यक्ष के कार्यालय में भी भेजी जाएगी, ऐसे छात्र/छात्राओं का सम्बन्धित पाठ्यक्रम में पंजीकरण निरस्त माना जाएगा। यदि उक्त कोर्स, कोर कोर्स है तो छात्र/छात्रा को पंजीकरण कर अगले अवसर पर सत्रांत सेमेस्टर पूर्ण करना होगा। इन समस्त स्थितियों में विश्वविद्यालय के नियम प्रभावी होंगे।

ACADEMIC CALENDAR SESSION 2022-23

(Approved by the Admission Committee meeting held on 20-06-2022)

1. Date of registration for admission to All UG/PG classes (First Semester) etc. – within 15 days after the declaration of the results of qualifying exam or CUET (whichever is applicable).
2. Commencement of the academic session/classes of UG First semester for all courses – from 05.08.2022.
3. Last date of admission to UG/PG/Diploma courses all semester excluding BA/B.Sc./B.Com etc. first Semester. – 30.09.2022
4. Last date of submitting examination form for odd semesters in all courses – 01.10.2022 to 30.10.2022.

   OR

   Within twenty (20) days of issuing of mark sheet of the previous class by the University, whichever is later. The same date will be applicable to the students of re-registration.
5. Late date of submitting examination form for even semesters in all courses – 15.03.2023 to 15.04.2023
6. Course duration (including examinations) for All UG, PG, Professional & Vocational courses
   (a) Odd Semester – 05.08.2022 to 01.01.2023
   (b) Even Semester – 17.01.2023 to 05.06.2023
7. Winter Break – 02.01.2023 to 16.01.2023
8. Summer Break – 06.06.2023 to 08.07.2023
9. University Foundation Day Celebration and University Convocation – 01.12.2022
10. Birthday ceremony celebration of Late Shri Hemvati Nandan Bahuguna – 25.04.2023
11. Golden Jubilee Celebrations – will begin from 01.12.2022

The dates mentioned above are tentative. They are subject to change as per the decision of the University.

Note :

1. All the departments will submit the Annual Report to IQAC latest by the first week of May, 2023 for 2022-23.
2. All the departments shall conduct Orientation/Induction programme for the newly admitted PG students within one week of the commencement of classes and submit the report to IQAC. IQAC will facilitate the same for UG programmes at the beginning of the academic session.

विभागवार शिक्षकों की सूची

प्राचार्य
डॉ. के.आर. जैन

अर्थशास्त्र
1. डॉ. देवना जिन्दल शर्मा
2. श्री जीवन प्रकाश मेहता
3. डॉ. रचना दीक्षित मिश्रा
4. डॉ. वी.बी. चौरसिया
5. डॉ. अल्पना निगम
6. डॉ. सविता चुनियाल
7. डॉ. शिखा नागलिया शर्मा

अंग्रेजी
1. डॉ. मीता शुक्ला
2. डॉ. बीना जोशी
3. डॉ. गीतांजली तिवारी
4. डॉ. एच.एस. रंधावा
5. श्रीमती पूनम ढौंड़ियाल
6. डॉ. मोनिषा सक्सेना
7. डॉ. शैली गुप्ता
8. डॉ. कुसुमलता

इतिहास
1. डॉ. रंजना रावत
2. डॉ. अन्जू बाली पाण्डेय
3. डॉ. रवि शरण दीक्षित

गणित
1. डॉ. यू.एस. राणा
2. डॉ. एम.के. जादौन
3. डॉ. रश्मिता शर्मा
4. श्री दीपेन्द्र निगम
5. डॉ. प्रदीप कोठियाल
6. डॉ. राजेश कुमार
7. श्री विपिन कुमार रवि

चित्रकला
1. डॉ. कंचन मेनवाल
2. डॉ. हरि ओम शंकर

प्राणी विज्ञान
1. डॉ. शशि किरण सोलंकी
2. डॉ. सुनील कुमार (दीर्घ अवकाश पर)
3. डॉ. जे0वी0एस0 रौथान
4. डॉ. सुन्दर सिंह
5. डॉ. सुजाता गुप्ता
6. डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा
7. डॉ. मनमोहन जुवांठा

बी0एड0
1. डॉ. रश्मि धर
2. डॉ. सविता रावत
3. डॉ. पूनम मिश्रा
4. डॉ. ऊषा पाठक
5. डॉ. रीना उनियाल तिवारी
6. डॉ. रूपाली बहल
7. श्री संदीप कुमार

भूगोल
1. श्री हिमांशु श्रीवास्तव
2. डॉ. धर्मेन्द्र कुमार शाही
3. डॉ. संगीता भट्ट

भौतिकी
1. डॉ. आलोक श्रीवास्तव
2. डॉ. रमेश कुमार शर्मा
3. मेजर अतुल सिंह
4. डॉ. अमिता रायजादा
5. डॉ. अमित कुमार शर्मा
6. डॉ. गुन्जन पुरोहित

मनोविज्ञान
1. डॉ. रेणुका जोशी
2. डॉ. नीता गुप्ता
3. डॉ. रश्मि त्यागी रावत
4. डॉ. प्रगति बड़थ्वाल

रसायन
1. डॉ. ए.आर. सेमवाल
2. डॉ. देवेन्द्र कुमार त्यागी
3. डॉ. वाणी कान्त पंकज
4. डॉ. शिखा सक्सेना
5. डॉ. सत्यव्रत त्यागी
6. डॉ. एम.एम.एस. जस्सल
7. डॉ. विनोद कुमार गुप्ता
8. डॉ. गोपाल क्षेत्री
9. डॉ. विनीत विश्नोई
10. डॉ. गम्भीर सिंह चौहान
11. डॉ. अनिल कुमार
12. डॉ. सुमन लता पाण्डेय
13. डॉ. प्रदीप जोशी
14. डॉ. प्रशान्त सिंह
15. डॉ. जुबैदा खातून

राजनीति विज्ञान
1. डॉ. रेखा त्रिवेदी
2. डॉ. नीरजा चौधरी
3. डॉ. राकेश लाल
4. डॉ. संज्ञा राय मीणा
5. श्री विकास चौबे
6. श्री अरूण रतूड़ी
7. डॉ. सरिता सिंह

वनस्पति विज्ञान
1. डॉ. एस.पी. जोशी
2. डॉ. धनन्जय कुमार गुप्ता
3. डॉ. आर.के. पाठक
4. डॉ. नैना श्रीवास्तव
5. डॉ. अनूप कुमार मिश्रा
6. डॉ. रीना वर्मा
7. डॉ. वन्दना कृष्णा
8. डॉ. पल्लवी गौतम
9. डॉ. स्मृति सावन

वाणिज्य
1. डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव
2. डॉ. कौशल कुमार
3. डॉ. सुनील कुमार सिंह
4. डॉ. जी.पी. डंग
5. श्री सौरभ शर्मा
6. डॉ. राजेश सिंह रावत
7. श्री अखिलेश चन्द्र वाजपेयी
8. डॉ. पुनीत सक्सेना
9. डॉ. शहला रहमान खान
10. डॉ. हुकुम सिंह रावत
11. कु. श्रेया रायजादा

विधि
1. डॉ. पारुल दीक्षित
2. डॉ. राजेश कुमार दुबे
3. डॉ. विवेक कुमार त्यागी
4. डॉ. जगत सिंह चांदपुरी
5. श्रीमती रीता पाण्डे
6. श्री नवीन राना (दीर्घ अवकाश पर)
7. डॉ. हरप्रीत कौर
8. डॉ. अपूर्व मवई
9. डॉ. प्रतिमा सिंह
10. श्री सोयम वाजपेयी (दीर्घ अवकाश पर)

शिक्षा शास्त्र
1. डॉ. रीना चन्द्रा
2. डॉ. अमिता श्रीवास्तव
3. डॉ. गोविन्द राम

समाज शास्त्र
1. डॉ. मृदुला सेंगर
2. डॉ. रवि भूषण पाण्डेय
3. डॉ. उर्मिला रावत
4. डॉ. सविता राजपूत
5. डॉ. ओनिमा शर्मा
6. डॉ. सत्यम द्विवेदी
7. डॉ. अर्चना पाल
8. डॉ. ज्योति सेंगर

संस्कृत
1. डॉ. सविता भट्ट
2. डॉ. सुखदा सोलंकी
3. डॉ. राम विनय सिंह

संगीत (गायन/वादन)
1. डॉ. अनुपमा सक्सेना
2. डॉ. सुमन त्रिपाठी

सांख्यिकी
1. डॉ. झरना बैनर्जी
2. डॉ. पीयूष मिश्रा
3. डॉ. स्मिता शर्मा
4. डॉ. जसविन्दर सिंह
5. डॉ. रेनूका रावत

हिन्दी
1. डॉ. पुष्पा खण्डूरी
2. डॉ. निधि सिन्हा
3. डॉ. राखी उपाध्याय
4. डॉ. निशा वालिया
5. श्री रोशन प्रसाद

नोट : यह सूची वरिष्ठता की परिचायक नहीं है।

Class wise details of Fees for the Session 2022-23

(सत्र 2022–23 के लिए कक्षानुसार शुल्क विवरण)

(Liable to change if amended by the University or State Government)

S.No.	CLASS	AMOUNT OF FEES	
		FOR BOYS	FOR GIRLS
1	B.A. I & II SEM (WITHOUT PRACTICAL SUB.)	1323	1208
2	B.A. I & II SEM (WITH ONE PRACTICAL SUB.)	1623	1508
3	B.A. I & II SEM (WITH TWO PRACTICAL SUB.)	1863	1748
4	B.A. III & IV SEM (WITHOUT PRACTICAL SUB.)	1413	1298
5	B.A. III & IV SEM (WITH ONE PRACTICAL SUB.)	1653	1538
6	B.A. III & IV SEM (WITH TWO PRACTICAL SUB.)	1893	1778
7	B.A. V & VI SEM (WITHOUT PRACTICAL SUB.)	1263	1148
8	B.A. V & VI SEM (WITH ONE PRACTICAL SUB.)	1503	1388
9	B.A. V & VI SEM (WITH TWO PRACTICAL SUB.)	1743	1628
10	B.Sc. I & II SEM (PCM/PMS)	1883	1775
11	B.Sc. I & II SEM (CBZ)	2123	2015
12	B.Sc. III & IV SEM (PCM/PMS)	1893	1785
13	B.Sc. III & IV SEM (CBZ)	2133	2025
14	B.Sc. V & VI SEM (PCM/PMS)	1743	1635
15	B.Sc. V & VI SEM (CBZ)	1983	1875
16	B.COM. I & II SEM	1323	1208
17	B.COM. III & IV SEM	1413	1298
18	B.COM. V & VI SEM	1263	1148
		FOR ALL BOYS & GIRLS	
19	M.COM. I & II SEM	1399	
20	M.COM. III & IV SEM	1299	
21	M.Sc. I & II SEM (PRACTICAL SUB.)	1799	
22	M.Sc. III & IV SEM (PRACTICAL SUB.)	1599	
23	M.Sc. I & II SEM (MATH)	1399	
24	M.Sc. III & IV SEM (MATH)	1299	
25	M.A. I & II SEM (WITHOUT PRACTICAL SUB.)	1399	
26	M.A. III & IV SEM (WITHOUT PRACTICAL SUB.)	1299	
27	M.A. I & II SEM (PRACTICAL SUB.)	1739	
28	M.A. III & IV SEM (PRACTICAL SUB.)	1539	
29	LL.B. I & II SEM	3579	
30	LL.B. III & IV SEM	3999	
31	LL.B. V & VI SEM	3999	
32	B.Ed. I & II SEM	3819	
33	B.Ed. III & IV SEM	3759	

Note :

1. As all the candidates of 1st/3rd/5th Semester of UG/PG/LL.B. classes are being given one time admission, FOR CONSECUTIVE SEMESTER ALSO THEY WILL HAVE TO GET REGISTERED/ADMITTED IN NEXT SEMESTER ONLY ON PRESCRIBED FORM.
2. Students who are not enrolled with the university must note that they have to pay online university enrollment fee along with examination fee.

Appendix 'A'
DETAILS OF COLLEGE FEE FOR THE SESSION 2022-23
(सत्र 2022–23 के लिए महाविद्यालय का शुल्क विवरण)
(LIABLE TO CHANGE IF AMENDED BY THE UNIVERSITY OR STATE GOVERNMENT)

MONTHLY FEE	B.A. I&II SEM	B.A. III & IV SEM	B.A. V & VI SEM	B.Sc. I&II SEM	B.Sc. III & IV SEM	B.Sc. V & VI SEM	B.Com I & II SEM	B.Com III & IV SEM	B.Com V & VI SEM	M.A. I & II SEM	M.Sc. I & II SEM	M.Com I & II SEM	M.A./M.Sc. /M.Com III & IV SEM	B.Ed. I & II SEM	B.Ed. III & IV SEM	LL.B. I & II SEM	LL.B. III & IV SEM	LL.B. V & VI SEM
TUITION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15	200	200	200	200	200
LIBRARY	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
READING ROOM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
DEARNESS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
MEDICAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	46	46	46	46	46	46	46	46	46	49	49	49	49	234	234	234	234	234
ANNUAL FEE																		
ADM&RE-ADM.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
GAMES	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
IDENTITY CARD	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ELECTRIC &WATER	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LIBRARY DEPOSIT	60			60			60			100	100	100		60		60		
LAB SECURITY	60			80						100	100							
HOT & COLD	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
EXAM FEE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ENV. FEE		150			150			150										
CC PLACE-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
DEVELOPMENT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SAF	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
STU. DIRECTORY	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
UNION FEE	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
CULTURAL ACT.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
MAGAZINE	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
BUILD & FURNI	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
WELFARE FUND	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ROVERS & RANG.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
SESSIONAL FEE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
DEGREE FEE																		
CC CHARGES	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	831	861	711	851	861	711	711	861	711	911	911	811	711	711	711	771	711	711

Note : Practical Fees will be charged extra per month as under (a) Science B.Sc. I, II, III @ Rs. 20 P.M.; Per practical subject, M.Sc. I, II @ Rs. 25 P.M.; (b) Arts B.A. I, II, III @ Rs. 20 P.M. per practical subject, (c) M.A. I, II @ Rs. 20/- P.M. (d) LL.B. III & V Sem. @ Rs. 20/- per paper (2x20=40) per practical.

VISION

TAMSO MA JYOTIRGAMAYH: Andhkar se Prakash ke Aur (FROM DARKNESS TO LIGHT) i.e. from Ignorance to Knowledge, the principle propounded by Maharshi Dayanand Saraswati has been adopted as the vision of the college. The college has a vision to impart holistic education so that the students can develop a comprehensive worldview. The vision of the college is to inculcate among students a sense of understanding, commitment and contribution for the betterment of society.

MISSION

Dayanand Anglo-Vedic (Post-Graduate) College, Dehradun is one of the oldest and the largest academic institution of North India. The mission of the college is to impart quality education to its students and to make them qualified, committed and compensate individuals. D.A.V. (P.G.) College, Dehradun has the mission to expose its students to latest information at the national and international levels so that they are aware of national and global developments in their relevant academic fields. The mission of the college may be briefly summarized as follows:

1. Developing well qualified individuals
2. Imparting latest knowledge to students
3. Transformation of highly energetic and young students into skilled and professionally groomed humans
4. Providing an environment for socially relevant and community-oriented research in the field of social sciences, physical sciences, biological sciences, commerce, law and education.
5. Inculcate the spirit of team work, social work and commitment towards environmental issues.
6. Respect cultural diversity.

विभिन्न कक्षाओं के लिए अनुमन्य छात्र संख्या सत्र 2022–23

कक्षा / विषय	छात्र संख्या
बी.ए. प्रथम (NEP)	1475
बी.कॉम. प्रथम (NEP)	1200
बी.एस–सी. प्रथम (NEP)	
पी.सी.एम. ग्रुप	500
सी.बी.जेड. ग्रुप	430
पी.एम.एस. ग्रुप	210
बी.एड.	50
एल–एल.बी. प्रथम	300
एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	
भूगोल	25
ड्राईंग एण्ड पेंटिंग	25
अंग्रेजी	80
इतिहास	60
समाज शास्त्र	140
गणित	20
मनोविज्ञान	30
हिन्दी	40
संस्कृत	20
राजनीति विज्ञान	120
अर्थशास्त्र	140
सांख्यिकी	05
एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	200
एम.एस–सी. प्रथम	
रसायन विज्ञान	40
वनस्पति विज्ञान	20
सांख्यिकी	30
भौतिक विज्ञान	30
प्राणी विज्ञान	20
गणित	110

डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून

118 वर्ष की यशस्वी यात्रा

(दयानन्द शिक्षा संस्थान कानपुर द्वारा संचालित)

सन् 1824 ई0 में भारतीय मेधा के मनस्वी महर्षि दयानन्द सरस्वती का आविर्भाव हुआ। इस परम तेजस्वी मनीषी ने 'आर्य–समाज' के माध्यम से ऐसी अलख जगाई कि सम्पूर्ण राष्ट्र अभिभूत हो उठा। कालान्तर में स्वामी दयानन्द जी के देहावसान के उपरान्त महात्मा हंसराज जी के निर्देशन में सर्वप्रथम डी.ए.वी. कॉलेज ट्रस्ट एवं प्रबन्ध समिति के प्रथम स्कूल की स्थापना 1 जून, 1886 ई0 को लाहौर (अब पाकिस्तान) में हुई। महात्मा हंसराज जी की प्रेरणा से प्रेरित इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1892 में मेरठ में एक रात्रिकालीन संस्कृत पाठशाला के रूप में हुई, जिसकी प्रबन्ध समिति को सन् 1904 ई0 में देहरादून के दानवीर ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने भू–सम्पत्ति दान में दी, जिसके फलस्वरूप यह स्कूल मेरठ से देहरादून स्थानान्तरित हो गया। सन् 1922 में यह स्कूल इण्टरमीडिएट कॉलेज, सन् 1946 में डिग्री कॉलेज और सन् 1948 में पी.जी. कॉलेज बना।

स्व. जगेन्द्र स्वरूप

(2 जुलाई 1949 से 30 जुलाई 2014)

सदस्य, विधान परिषद, यू.पी. (1980–2014)
पूर्व महामंत्री, दयानन्द शिक्षा संस्थान, कानपुर और
पूर्व सचिव, प्रबंध समिति, डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून

सन् 1892 में कानपुर में गठित डी.ए.वी. कॉलेज ट्रस्ट एण्ड मैनेजमेंट सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष बाबू ज्योति स्वरूप थे। तदुपरान्त सोसायटी के संचालन का दायित्व कानुपर के श्री आनन्द स्वरूप जी ने संभाला। तदनन्तर उनके छोटे भाई बाबू बृजेन्द्र स्वरूप जी ने इस दायित्व का सम्यक् निर्वहन किया। 30 मार्च 1960 को बाबू बृजेन्द्र स्वरूप जी के स्वर्गवासी हो जाने के उपरान्त उनके छोटे पुत्र डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप जी ने अपनी अप्रतिम प्रतिभा और सामाजिक नेतृत्व के बल पर शिक्षा–जगत् के प्रतीक पुरुष के रूप में ख्याति अर्जित की।

डॉ0 वीरेन्द्र स्वरूप जी के निधन के उपरान्त उनके ज्येष्ठ पुत्र **श्री जगेन्द्र स्वरूप जी** के कंधों पर दयानन्द शिक्षा संस्थान का गुरुतर उत्तरदायित्व आया। वे कालान्तर में प्रख्यात अधिवक्ता के रूप में सम्मानित हुये। सन् 1980 से निरन्तर छः बार भारी बहुमत से सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश निर्वाचित हुये। **श्री जगेन्द्र स्वरूप जी** के निधन के उपरांत उनके यशोधर सुपुत्र **श्री मानवेन्द्र स्वरूप जी** एडवोकेट जो पूर्व से ही सह सचिव के रूप में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति व दयानन्द शिक्षा संस्थान के कार्य में महान योगदान दे रहे थे, अब महाविद्यालय व संस्थान प्रबंधन के गुरूतर दायित्व का कुशलता से निर्वहन कर रहे हैं। उनके कुशल एवं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबन्धन के परिणामस्वरूप महाविद्यालय निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर है।

दयानन्द शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और बछरावाँ (रायबरेली) में स्थित 19 अन्य संस्थाओं एवं उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जिले में डी.ए.वी. महाविद्यालय सहित पाँच संस्थाओं का संचालन करता है।

उत्तराखण्ड का यह सबसे बड़ा महाविद्यालय, डी0ए0वी0 (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर से सम्बद्ध है।

इस महाविद्यालय की उर्वराशक्ति को प्रमाणित करने वाली विभूतियों की संख्या अनगिनत हैं, तथापि सर्वश्री शिवसागर रामगुलाम (पूर्व प्रधानमंत्री मॉरिशस), श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द (पूर्व प्रधानमंत्री, नेपाल), स्व. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, स्व. श्री भक्त दर्शन, स्व. श्री महावीर त्यागी, श्री ब्रह्मदत्त (सभी पूर्व मंत्री, भारत सरकार), जनरल बी.सी. जोशी (पूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख) एवं कुमारी बछेन्द्री पाल (एवरेस्ट पर पहुँचने वाली प्रथम महिला) आदि उत्कृष्ट प्रमाण हैं। सेना, शासन, प्रशासन, उद्योग, व्यवसाय, कला साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के छात्रगण विशिष्ट योगदान दे रहे हैं।

।। ओ३म् ।।

आर्य समाज के नियम

1. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है।
2. ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है।
3. वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना–पढ़ाना और सुनना–सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
4. सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
5. सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए।
6. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
7. सबको प्रीतिपूर्वक और धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिए।
8. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
9. प्रत्येक मनुष्य को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
10. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें।

दानवीर स्व. ठाकुर पूरण सिंह नेगी

शहीद स्मारक

Saraswati Press | #9358865676

दयानन्द एंग्लो-वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय

करनपुर, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड (भारत)
टेलीफोन नं. : **+91-135-2748360, +91-135-2743555**

For online Application & Payments visit college website
www.davpgcollege.in
E-mail: info@davpgcollege.in